<u>न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर</u>

<u>शेखावाटी, सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : : अमित कुमार, RJS (DJ Cadre)

<u>सेशन प्रकरण संख्या:– 05/2019</u>

<u>एफ.आई.आर. संख्या 124/2018 पुलिस थाना सदर फतेहपुर</u>

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक फतेहपुर

–अभियोगी

बनाम्

1. अजय चौधरी पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 29 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर ।
2. जगदीप उर्फ धनकड़ पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी खांजी का बास थाना फतेहपुर जिला सीकर ।
3. ओमप्रकाश उर्फ ओपी पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर ।
4. दिनेश कुमार उर्फ लारा पुत्र ओमप्रकाश जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला फतेहपुर थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर ।
5. आमीर पुत्र खान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चूड़ीमियां पीएस बलारा जिला सीकर ।
6. रामपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति रेपस्वाल निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं ।
7. अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया पुत्र बलवंत जाति रेपस्वाल निवासी भादड़वास थाना मण्डावा जिला झुंझूनूं ।
8. कैलाश नागौरी पुत्र फूसाराम जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर जिला सीकर ।

9. बलबीर पुत्र ईश्वर राम जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर। (**मफरूर**)
10. किरणपाल उर्फ मनीष पुत्र रामकुमार जाति हरिजन निवासी रायपुरकला थाना छायसां जिला फरीदाबाद हरियाणा ।
11. संजय कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं ।
12. दिनेश कुमार पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी कोलीड़ा थाना दादिया जिला सीकर।
13. सुगना देवी पत्नी बलबीरसिंह जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।
14. बिजेंद्रसिंह पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर ।
15. अमित कुमार पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी गोठड़ा भूकरान थाना दादिया जिला सीकर ।
16. राजू उर्फ राजेंद्र नैण पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नैणों की ढाणी तन खेड़ी राडान थाना बलारा जिला सीकर ।
17. श्रीमती सुमित्रा उर्फ सुमन पत्नी श्योपाल जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा तन बिडौदी थाना बलारा जिला सीकर ।
18. हंसराज पुत्र भगवानाराम जाति यादव निवासी सराय सूरपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं । (**मफरूर**)
19. सुरेंद्र कुमार पुत्र बंशीधर जाति यादव निवासी सांपा की ढाणी तन केरपुरा थाना खण्डेला जिला सीकर ।
20. कुलदीप चाहर पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी खांजी का बास रूप नगर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर ।

–विचारित अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 148, 149, 302, 307, 341,

332, 353, 212, 120 बी भादंसं व धारा 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट

उपस्थित–

1. श्री भीमसिंह महला, अधिवक्ता अभियुक्त अनुज, रामपाल, जगदीप उर्फ धनकड़, राजू उर्फ राजेंद्र, सुमित्रा उर्फ सुमन की ओर से ।

2. श्री कपिल दहिया, अधिवक्ता अभियुक्त अजय चौधरी, ओमप्रकाश उर्फ ओपी, किरणपाल उर्फ मनीष, दिनेश पुत्र मुकनाराम, विजेंद्रसिंह की ओर से ।

3. श्री दिनेश शर्मा, अधिवक्ता अभियुक्त आमीर व कैलाश उर्फ नागौरी की ओर से ।

4. श्री जाबिर अली, अधिवक्ता अभियुक्त अमित कुमार की ओर से ।

5. श्री ईमरान खान, अधिवक्ता अभियुक्त संजय कुमार व कुलदीप की ओर से ।

6. श्री त्रिलोकसिंह महला, अधिवक्ता अभियुक्त दिनेश उर्फ लारा, सुरेंद्र कुमार की ओर से

7. सुश्री एकता सोनी, अधिवक्ता अभियुक्ता सुगना देवी की ओर से ।

8. श्री रामचंद्र माहिच, अपर लोक अभियोजक सरकार की ओर से

-::निर्णय::-

दिनांक 11.07.2023

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	06.10.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	07.10.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	11.01.2019
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	09.08.2019
साक्ष्य आरंभ किये जाने की तिथि	09.10.2019
निर्णय आरक्षित किये जाने की तिथि	07.07.2023
निर्णय की तिथि	11.07.2023
दण्ड दिये जाने की तिथि	11.07.2023

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

अभि. की क्रम संख्या	अभि. का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दंप्रसं के परिपेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि

1	अजय चौधरी	16–10–2018			दोषसिद्ध	आजीवन कारावास (विस्तृत दण्ड दण्डादेश में वर्णित)	दिनांक 16.10.2018 से लगातार जेसी/पीसी में चल रहा है
2	जगदीप उर्फ धनकड़	16–10–2018					दिनांक 16.10.2018 से लगातार जेसी/पीसी में चल रहा है
3	ओमप्रकाश उर्फ ओपी	17–10–2018					दिनांक 17.10.2018 से लगातार जेसी/पीसी में चल रहा है
4	दिनेश कुमार उर्फ लारा	18–10–2018					दिनांक 18.10.2018 से लगातार जेसी/पीसी में चल रहा है
5	आमीर	16–10–2018	02–04–2019				दिनांक 16.10.2018 से 02.04.2019 तक जेसी /पीसी में रहा

6	रामपाल	16–10–2018					दिनांक 16.10.2018 से लगातार जेसी/पीसी में चल रहा है
7	अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया	16–10–2018					दिनांक 16.10.2018 से लगातार जेसी/पीसी में चल रहा है
8	कैलाश नागौरी	29–10–2018	13–02–2019	212 भादंसं	दोषमुक्त		दिनांक 29.10.2018 से 13.02.2019 तक जेसी /पीसी में रहा
9	बलबीर	–	–	212 भादंसं	–मफरूर–		
10	किरणपाल उर्फ मनीष	–	–	212 भादंसं	दोषमुक्त		–
11	संजय कुमार	–	–	212 भादंसं			–
12	दिनेश कुमार	–	–	212 भादंसं			–
13	सुगना देवी	–	–	212 भादंसं			–
14	बिजेंद्रसिंह	–	–	212 भादंसं			–
15	अमित कुमार	–	–	212 भादंसं			–
16	राजू उर्फ राजेंद्र	–	–	212 भादंसं			–
17	सुमित्रा उर्फ सुमन	–	–	212 भादंसं			–
18	हंसराज	–	–	212 भादंसं	–मफरूर–		
19	सुरेंद्र कुमार	–	–	212 भादंसं	दोषमुक्त		–

20	कुलदीप चाहर	–	–	212 भादंसं			–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी हो)
पी.डब्लू01	सांवरमल	एफआईआरकर्ता, चक्षुदर्शी, नक्शा मौका व फर्द शिनाख्तगी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू02	रमेश कुमार	चक्षुदर्शी व फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू03	गुलाम सरवर	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू04	संदीप कुमार	फर्द जब्ती व एफएसएल कैरियर साक्षी
पी.डब्लू05	डॉ. अरूण अग्रवाल	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू06	डॉ. संजय खन्ना	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू07	डॉ. आशीष पुरोहित	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू08	डॉ. राजेश ढाका	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू09	अनिल कुमार शर्मा	फोरेंसिक रिपोर्ट का साक्षी
पी.डब्लू10	देवीलाल	गाड़ी सुपुर्दगी पंचनामा का साक्षी
पी.डब्लू11	कैलाश	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू12	श्योकरण	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू13	प्रभाती	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू14	हनुमानसिंह	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू15	परमेश्वरलाल	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू16	हेमंत कुमार	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू17	मुकेश	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू18	शीशराम	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू19	श्रवण	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू20	गुलाबसिंह	टोल फुटेज रिकार्डिंग उपलब्ध करवाने का साक्षी
पी.डब्लू21	प्रतापसिंह	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू22	रजनीश कुमार	पक्षद्रोही साक्षी

पी.डब्लू23	भोलाराम	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू24	श्रवण कुमार	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू25	रामेश्वरलाल	एमटीओ साक्षी
पी.डब्लू26	रमेश कुमार	एफएसएल कैरियर
पी.डब्लू27	पृथ्वीसिंह	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू28	हणमानाराम	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू29	हिमांशु गुप्ता	बयान धारा 164 सीआरपीसी का साक्षी
पी.डब्लू30	विभौर गोयल	बयान धारा 164 सीआरपीसी का साक्षी
पी.डब्लू31	आसिब	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू32	रामप्रसाद	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू33	जयराम	कार्यवाही शिनाख्तगी का साक्षी
पी.डब्लू34	विजयपाल हुडा	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू35	राजेंद्र	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू36	मनोज कुमार	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू37	रामचंद्र मूंड	अनुसंधान टीम में सम्मिलित साक्षी
पी.डब्लू38	बुलेश कुमार	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू39	राजीव राहड़	तलाशी मुलजिमान व फर्द गिरफतारी का साक्षी
पी.डब्लू40	बनवारीलाल	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू41	महावीरसिंह	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू42	दिलीप कुमार	फर्द गिरफतारी मुलजिम का साक्षी
पी.डब्लू43	शिवभगवान	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू44	मुलायमसिंह	तलाशी मुलजिमान, गिरफतारी व जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू45	महावीरसिंह राठौड़	तलाशी मुलजिमान व फर्द गिरफतारी का साक्षी
पी.डब्लू46	ताराचंद	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू47	श्रवण कुमार	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू48	मुख्तयार	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू49	इमरान उर्फ बख्तियार	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू50	विजेंद्र कुमार	फर्द गिरफतारी मुलजिम का साक्षी
पी.डब्लू51	बजरंगसिंह	फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू52	सीताराम	फर्द गिरफतारी मुलजिम का साक्षी
पी.डब्लू53	गजराजसिंह	तलाशी मुलजिमान व फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू54	सचिन भारद्वाज	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू55	नवीन	फर्द गिरफतारी मुलजिम का साक्षी

पी.डब्लू56	राजेश टुटेजा	बीटीएस विश्लेषण रिपोर्ट का साक्षी
पी.डब्लू57	कामरान खान	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू58	बृजेशसिंह	तलाशी मुलजिमान,फर्द जब्ती, नक्शा मौका का साक्षी
पी.डब्लू59	रवींद्र	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू60	योगेश कुमार	फर्द गिर. मुलजिमान, फर्द जब्ती व एफएसएल कैरियर
पी.डब्लू61	इन्द्राज मरोडिया	बयान धारा 161 सीआरपीसी का साक्षी
पी.डब्लू62	बाबूलाल	नक्शा मौका का साक्षी
पी.डब्लू63	मदनलाल	चक्षुदर्शी, फर्द जब्ती, गिरफतारी, नक्शा मौका साक्षी
पी.डब्लू64	रविंद्र	फर्द जब्ती व फर्द गिरफतारी का साक्षी
पी.डब्लू65	हरिराम	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू66	ओमप्रकाश	फर्द जब्ती व नक्शा का साक्षी
पी.डब्लू67	शिवभगवान	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू68	अशोक कुमार	फर्द जब्ती व नक्शा का साक्षी
पी.डब्लू69	बीरबलराम	फर्द जब्ती व नक्शा का साक्षी
पी.डब्लू70	मोहम्मद सलीम	फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू71	राजेंद्रसिंह	मालखाना इंचार्ज
पी.डब्लू72	रामकिशन	फर्द जब्ती व नक्शा मौका बरामदगी स्थल साक्षी
पी.डब्लू73	मुकेश कुमार	फर्द निशादेही नक्शा मौका का साक्षी
पी.डब्लू74	छोटूराम	फर्द जब्ती व नक्शा मौका बरामदगी स्थल साक्षी
पी.डब्लू75	अशोकसिंह	तलाशी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू76	रोहिताश कुमार	फर्द बरामदगी व तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू77	शिवलाल	फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू78	अनिल कुमार	फर्द बरामदगी व तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू79	हरिकिशन	फर्द बरामदगी, नक्शा मौका बरामदगी स्थल का साक्षी
पी.डब्लू80	धर्मपाल	फर्द बरामदगी का साक्षी
पी.डब्लू81	शिशराम	फर्द बरामदगी व तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू82	सुरेंद्रसिंह	पंचनामा, सुपुर्दगी लाश व फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू83	नंदकिशोर	पंचनामा, सुपुर्दगी लाश व फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू84	हरलालसिंह	फर्द बरामदगी व तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू85	नरेंद्र कुमार	पंचनामा, सुपुर्दगी लाश व फर्द जब्ती का साक्षी

पी.डब्लू86	रघुवीरसिंह	पंचनामा व फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू87	जयनारायण	फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू88	शुभकरण	फर्द जब्ती, गिरफतारी व तस्दीक घटनास्थल मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू89	रामावतार	फोटाग्राफ लिये जाने का साक्षी
पी.डब्लू90	सतपाल	फर्द गिरफतारी का साक्षी
पी.डब्लू91	राकेश कुमार	फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू92	श्रवणराम	फर्द जब्ती का साक्षी
पी.डब्लू93	सांवरमल	फोटोग्राफस प्रिंट निकालने का साक्षी
पी.डब्लू94	जीवराजसिंह	एफएसएल कैरियर
पी.डब्लू95	शीशराम ओला	फर्द गिरफतारी का साक्षी
पी.डब्लू96	दशरथसिंह	अग्रेषण पत्र तैयार करने का साक्षी
पी.डब्लू97	नेमीचंद	तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल का साक्षी
पी.डब्लू98	प्रहलादराय	फर्द गिरफतारी, फर्द जब्ती व तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल मुलजिम का साक्षी
पी.डब्लू99	आलोक कुमार पूनियां	फर्द गिरफतारी, फर्द जब्ती, तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल मुलजिम व तितंबा चार्जशीट का साक्षी
पी.डब्लू100	सुशील कुमार सैनी	कार्यवाही शिनाख्तगी मुलजिमान का साक्षी
पी.डब्लू101	देवेंद्रपाल	धारा 65 बी के प्रमाण पत्र व कॉल डिटेल का साक्षी
पी.डब्लू102	दीपक	धारा 65 बी के प्रमाण पत्र व कॉल डिटेल का साक्षी
पी.डब्लू103	राजकुमार	एफएसएल कैरियर
पी.डब्लू104	राजेश त्रिपाठी	धारा 65 बी के प्रमाण पत्र व कॉल डिटेल का साक्षी
पी.डब्लू105	अतिका फारूखी	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू106	जाकिरा	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्लू107	नरेश ठकराल	अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने का साक्षी
पी.डब्लू108	करणीसिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्लू109	वीरसिंह	अग्रिम अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्लू110	सुरेंद्र कुमार	फर्द गिरफतारी, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का साक्षी
पी.डब्लू111	डॉ. आर के कुमावत	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू112	डॉ. प्रदीप जैन	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्लू113	भोपालसिंह	नक्शा मौका व हालात मौका का साक्षी

प्रतिरक्षा साक्षियों की सूची

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी हो)
डी.डब्लू01	दिनेश उर्फ लारा	स्वयं की निर्दोषिता बाबत साक्षी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचि

क. अभियोजन

क्र. सं.	दस्तावेज की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	तहरीरी रिपोर्ट	01
2	घटनास्थल का नक्शा मौका	02
3	फर्द जब्ती तीन खाली केस	03
4	फर्द जब्ती सडक पर लगे खून मय कंक्रीट	04
5	फर्द जब्ती कंक्रीट	05
6	फर्द जब्ती खून आलूदा मिटटी	06
7	फर्द जब्ती मृतक मुकेश कानूनगो सफेद रंग की फटी हुई बनियान	07
8	फर्द जब्ती मृतक रामप्रकाश की एक सफेद रंग की कटी हुई बनियान	08
9	फर्द जब्ती एक शर्ट व एक पेंट परिवादी सांवरमल	09
10	फर्द जब्ती चली हुई गोली के बुलेट के धातुनुमा तीन टुकडे	10
11	फर्द जब्ती मिर्ची पाउडर	11
12	फर्द जब्ती दो चप्पल जोड़ी	12
13	फर्द जब्ती एक बुलेट का टुकड़ा	13
14	नक्शा मौका जहां घटना करके बोलेरो गाड़ी पलटी	14
15	फर्द जब्ती चार खाली केस 9 एमएम पिस्टल	15
16	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया	16
17	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम रामपाल	17
18	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम आमीर	18

19	फर्द जब्ती एक पेंट व टी शर्ट रमेश कुमार	19
20	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम रामपाल	20
21	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम आमीर	21
22	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम अनुज	22
23	फर्द जब्ती फोटोग्राफस	23
24	फोटोग्राफस	24–29
25	फर्द जब्ती स्कूटी महेंद्रा गेस्टो	30
26	फर्द जब्ती वाहन कमाण्डर जीप	31
27	एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त रसीद	32–36
28	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक मुकेश कानूनगो	37
29	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक रामप्रकाश	38
30	एक्सरे प्लेटस	39–49
31	मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने का आवेदन	50
32	चिकित्सा रिपोर्ट अजय चौधरी	51
33	चिकित्सा रिपोर्ट जगदीप	52
34	चिकित्सा रिपोर्ट आमीर	53
35	चिकित्सा रिपोर्ट रामपाल	54
36	तहरीर बाबत ब्लड सेंपल मुलजिम ओमप्रकाश	55
37	सेंपल रिपोर्ट	56
38	ब्लड रिपोर्ट मुलजिम ओमप्रकाश	57
39	कवरिंग लेटर एफएसएल मोबाईल यूनिट झुंझूनूं	58
40	घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट एफएसएल रिपोर्ट झुंझूनूं	59
41	फोटोग्राफस घटनास्थल	60–85
42	बयान धारा 161 सीआरपीसी श्योकरण	86
43	पंचनामा मालखाना निस्तारण	86
44	बयान धारा 161 सीआरपीसी हेमंत कुमार	86
45	बयान धारा 161 सीआरपीसी मुकेश कुमार	87

46	बयान धारा 161 सीआरपीसी शीशराम	88
47	बयान धारा 161 सीआरपीसी श्रवण कुमार	89
48	बयान धारा 161 सीआरपीसी प्रतापसिंह	90
49	बयान धारा 161 सीआरपीसी रजनीश	91
50	मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट	92
51	प्राप्ति रसीद एफएसएल	93
52	अग्रेषण पत्र	94
53	बयान धारा 161 सीआरपीसी हणमानाराम	95
54	बयान धारा 164 सीआरपीसी हिमांशु गुप्ता	96
55	बयान धारा 164 सीआरपीसी विभौर गोयल	97
56	शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम आमीर	98
57	टीम गठन की सूचि आईजी रेंज जयपुर	99
58	फर्द गिरफतारी मुलजिम आमीर	100
59	फर्द गिरफतारी मुलजिम अजय चौधरी	101
60	फर्द गिरफतारी मुलजिम जगदीप उर्फ धनकड़	102
61	फर्द गिरफतारी मुलजिम रामपाल	103
62	फर्द जब्ती एक डोंगल जीओ कंपनी व एक मोबाईल एप्पल	104
63	फर्द जब्ती आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, वीजा कार्ड	105
64	नक्शा मौका व हालात मौका दस्तयाबी रामपाल	106
65	नक्शा मौका व हालात मौका दादर रेल्वे स्टेशन	107
66	रोजनामचा थाना नवलगढ	108
67	रोजनामचा थाना नवलगढ	109
68	रेल्वे टिकट	110
69	फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी दिनेश उर्फ लारा	111
70	फर्द जब्ती दो मोबाईल फोन सेमसंग	112
71	फर्द गिरफतारी अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया	123
72	कवरिंग लेटर एटीएस व एसओजी मय बीटीएस विश्लेषण रिपोर्ट	114

73	फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुजलजिम ओमप्रकाश उर्फ ओपी	115
74	फर्द जब्ती पिस्तोल मुलजिम ओमप्रकाश उर्फ ओपी से	116
75	फर्द निरीक्षण पिस्तोल का छाया चित्र	117
76	फर्द जब्ती पिकअप गाड़ी मुलजिम कुलदीप चाहर	118
77	अग्रेषण पत्र	119
78	एफएसएल रिपोर्ट	120
79	नक्शा मौका व हालात मौका मुलजिम अनुज	121
80	फर्द जब्ती बोलेरो गाड़ी आरजे 10 यूए 6106	122
81	फर्द गिरफतारी जामा तलाशी मुलजिम बलबीर	123
82	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल बिना नंबर टीवीएस	124
83	फर्द गिरफतारी मुलजिम कुलदीप चाहर	125
84	फर्द जब्ती दो सरकारी पिस्टल	126
85	चित्र पिस्टल बट नंबर 54	127
86	चित्र पिस्टल बट नंबर 27	128
87	फर्द जब्ती प्रमाणित प्रति मोटरसाईकिल बिना नंबरी	129
88	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	130–138
89	फर्द जब्ती देशी कट्टा मय दो जिंदा कारतूस	139
90	फर्द जब्ती छाया चित्र देशी कट्टा मय दो जिंदा कारतूस	140
91	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका देशी कट्टा व जिंदा कारतूस	141
92	फर्द नक्शा निशादेही घटनास्थल	142
93	फर्द बरामदगी देशी कट्टा मय तीन कारतूस मुलजिम अजय चौधरी	143
94	फर्द निरीक्षण व छायाचित्र देशी कट्टा मय तीन कारतूस मुलजिम अजय चौधरी	144
95	फर्द बरामदगी देशी कट्टा मय पांच कारतूस मुलजिम दिनेश लारा	145
96	फर्द निरीक्षण व छायाचित्र देशी कट्टा मय पांच जिंदा कारतूस मुलजिम दिनेश लारा	146
97	फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल एक देशी कट्टा मय तीन जिंदा कारतूस व एक खाली कारतूस मुलजिम अजय चौधरी	147

98	फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल एक देशी कट्टा मय पांच जिंदा कारतूस व एक खाली कारतूस मुलजिम दिनेश उर्फ लारा	148
99	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम ओमप्रकाश उर्फ ओपी	149
100	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम दिनेश उर्फ लारा	150
101	फर्द निरीक्षण व फर्द जब्ती वाहन गेटवे गाड़ी	151
102	फर्द बरामदगी देशी कट्टा एक खाली खोखा, तीन जिंदा कारतूस मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पांडिया	152
103	छाया चित्र देशी कट्टा, एक खाली खोखा, तीन जिंदा कारतूस मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पांडिया	153
104	नक्शा मौका बरामदगी स्थल एक देशी कट्टा मय तीन जिंदा कारतूस व एक खाली खोखा मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पांडिया	154
105	फर्द बरामदगी देशी कट्टा, एक खाली खोखा व दो जिंदा कारतूस मुलजिम रामपाल	155
106	छाया चित्र देशी कट्टा, एक खाली खोखा व दो जिंदा कारतूस मुलजिम रामपाल	156
107	नक्शा मौका बरामदगी स्थल एक देशी कट्टा मय दो जिंदा कारतूस व एक खाली खोखा मुलजिम रामपाल	157
108	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम अजय चौधरी	158
109	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम आमीर	159
110	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम जगदीप उर्फ धनकड़	160
111	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम रामपाल	161
112	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पांडिया	162
113	पंचायतनामा मृतक मुकेश कानूनगो	163
114	रसीद सुपुर्दगी लाश मृतक मुकेश कानूनगो	164
115	फर्द गिरफतारी मुलजिम कैलाश नागौरी	165
116	पंचायतनामा मृतक रामप्रकाश	166
117	सुपुर्दगी लाश मृतक रामप्रकाश	167
118	नक्शा मौका तस्दीक जहां से मुलजिम कुलदीप गाड़ी में चढाकर ले गया	168
119	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम कुलदीप	169

120	अग्रेषण पत्र	170
121	शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम आमीर	171
122	लेटर तहसीलदार फतेहपुर	172
123	65 बी का प्रमाण पत्र जी ओ कंपनी	173
124	सर्टिफिकेट जी ओ कंपनी का	174
125	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	175–179
126	कॉल डिटेल	180
127	कवरिंग लेटर रिलायंस जी ओ कंपनी	181
128	प्रमाण पत्र 65 बी	182
129	कॉल डिटेल	183
130	कवरिंग लेटर जी ओ कंपनी	184
131	65 बी का प्रमाण पत्र	185
132	कॉल डिटेल	186
133	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	187
134	65 बी का प्रमाण पत्र एयरटेल कंपनी	188
135	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	189–194
136	कॉल डिटेल	195–199
137	प्रमाण पत्र 65 बी	200
138	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	201
139	कॉल डिटेल एयरटेल	202
140	कॉल डिटेल एयरटेल	203
141	प्रमाण पत्र 65 बी एयरटेल	204
142	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म मय कॉल डिटेल	205
143	अग्रेषण पत्र	206
144	रोजनामचा सदर फतेहपुर	207
145	कॉल डिटेल वोडाफोन	208–210
146	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	211–213

147	प्रमाण पत्र 65 बी वोडाफोन	214
148	कॉल डिटेल वोडाफोन	215–216
149	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	217–218
150	प्रमाण पत्र 65 बी वोडाफोन	219
151	आर्म्स एक्ट की स्वीकृति/अनुमति पत्र	220
152	चाक एफआईआर	221
153	चार्जशीट	222
154	आदेश बाबत अनुसंधान आईजी ऑफिस जयपुर	223
155	पत्र आरटीओ ऑफिस चूरू	224
156	आरटीओ ऑफिस चूरू से प्राप्त वाहन रजिस्ट्रेशन सूचना	225–226
157	आईजी ऑफिस जयपुर से न्यायालय को लिखा गया पत्र	227
158	आवेदन पत्र बाबत 164 सीआरपीसी के बयान	228
159	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुलजिम जगदीश उर्फ धनकड़	229
160	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम अजय चौधरी	230
161	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम दिनेश लारा	231
162	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम दिनेश लारा	232
163	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम अजय चौधरी	233
164	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम जगदीप धनकड़	234
165	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम रामपाल	235
166	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पांडिया	236
167	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम आमीर	237
168	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुलजिम अनुज उर्फ छोटा पांडिया	238
169	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम रामपाल	239
170	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम अजय चौधरी	240
171	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम जगदीप धनकड़	241
172	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम दिनेश लारा	242
173	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम अजय चौधरी	243

174	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम जगदीप धनकड़	244
175	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम कैलाश नागौरी	245
176	आईजी ऑफिस जयपुर रेंज को पत्र मुलजिम किरणपाल बाबत	246
177	आदेश नियुक्ति पुलिसकर्मी सांवरमल	247
178	आदेश नियुक्ति पुलिसकर्मी रमेश	248
179	आदेश नियुक्ति पुलिसकर्मी रामप्रकाश	249
180	आदेश नियुक्ति पुलिसकर्मी मुकेश कानूनगो	250
181	स्थानांतरण आदेश	251–252
182	कार्यालय आदेश एडिशनल डीजी सीआईडी सीबी मुलजिमान के बाबत	253
183	अग्रेषण पत्र	254–259
184	एफएसएल रिपोर्ट	260–266
185	डोंगल रूट चार्ट/विश्लेषण रिपोर्ट	267
186	डोंगल रूट चार्ट/विश्लेषण रिपोर्ट	268
187	एफएसएल रिपोर्ट	269

प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचि

ख. प्रतिरक्षा

क्र. सं.	दस्तावेज की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	बयान 161 सीआरपीसी सांवरमल	01
2	रोजनामचा	02
3	रोजनामचा	03
4	बयान 161 सीआरपीसी रमेश	04
5	बयान 161 सीआरपीसी गुलाम सरवर	05
6	बयान 161 सीआरपीसी देवीलाल	06
7	बयान 161 सीआरपीसी विभोर गोयल	07
8	बयान 161 सीआरपीसी राजीव राहड़	08

9	बयान 161 सीआरपीसी बजरंगसिंह	09
10	बयान 161 सीआरपीसी अतिका	10
11	बयान 161 सीआरपीसी जाकिरा	11

माल विषय

ग. आर्टिकल

क्र. सं.	माल की प्रकृति	आर्टिकल संख्या
1	तीन कारतूस के खाली खोखे, एक बुलेट व शीशे का टुकड़ा	01
2	घटनास्थल से खून आलूदा कंकरीट मय डामर	02
3	सफेद कपड़े की थैली	03
4	घटनास्थल से खून आलूदा कंकरीट मय डामर	04
5	सादा मिट्टी घटनास्थल	05
6	घटनास्थल सड़क से खून आलूदा कंकरीट मय डामर	06
7	खून आलूदा मिट्टी	07
8	मिर्च पाउडर	08
9	पिस्टल मय जिंदा कारतूस	09
10	फटी हुयी शर्ट, बनियान व जीन्स	10–12
11	खून आलूदा बनियान, कमीज व जीन्स	13–15
12	दो जोड़ी चप्पल	16
13	एक सेंडल जोड़ी	17
14	एक जूता जोड़ी	18
15	एक बनियान	19
16	एक कमीज शर्ट	20
17	एक पेंट	21
18	एक बुलेट का टुकड़ा	22
19	पेन ड्राईव टोल प्लाजा	23

20	पेट्रोल पंप की रिकार्डिंग का पेन ड्राईव	24
21	गवाहान के बयानों की रिकार्डिंग का पेन ड्राईव	25
22	आधार कार्ड	26
23	एटीएम कार्ड	27
24	एसबीआई का वीजा कार्ड	28
25	9 एमएम पिस्टल	29
26	9 एमएम पिस्टल	30
27	खाली कारतूस	31
28	देशी कट्टा	32
29	देशी कट्टा	33
30	खाली कारतूस	34
31	खाली खोखे	35
32	देशी कट्टा	36
33	खाली खोखे	37
34	देशी कट्टा	38
35	कारतूस	39
36	देशी कट्टा	40
37	खाली खोखे	41
38	बुलेट का टुकड़ा	42
39	चली हुयी बुलेट के तीन टुकड़े	43
40	सेमसंग मोबाईल	44
41	जी फाईव मोबाईल	45
42	जीओ कंपनी का डोंगल	46
43	सेमसंग मोबाईल काले कलर का	47
44	आई फोन सिक्स एस	48
45	लाल कलर की टीशर्ट	49
46	नीले रंग की जीन्स	50

47	काले कलर की पेंट	51
48	खून आलूदा शर्ट	52

1. थानाधिकारी पुलिस थाना, सदर फतेहपुर की ओर से अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर के समक्ष दिनांक 11–01–2019 को अभियुक्तगण अजय चौधरी पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 29 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर, जगदीप उर्फ धनकड़ पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी खांजी का बास थाना फतेहपुर जिला सीकर, ओमप्रकाश उर्फ ओपी पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर, दिनेश कुमार उर्फ लारा पुत्र ओमप्रकाश जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला फतेहपुर थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर, आमीर पुत्र खान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चूड़ीमियां पीएस बलारा जिला सीकर, रामपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति रेपस्वाल निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया पुत्र बलवंत जाति रेपस्वाल निवासी भादड़वास थाना मण्डावा जिला झुंझूनू के विरूद्ध भा. दं. सं. की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 341, 332, 353, 120 बी व धारा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट तथा अन्य अभियुक्तगण कैलाश नागौरी पुत्र फूसाराम जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर जिला सीकर, बलबीर पुत्र ईश्वर राम जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर, किरणपाल उर्फ मनीष पुत्र रामकुमार जाति हरिजन निवासी रायपुरकला थाना छायसां जिला फरीदाबाद हरियाणा, संजय कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं, दिनेश कुमार पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी कोलीड़ा थाना दादिया जिला सीकर, सुगना देवी पत्नी बलबीरसिंह जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर, बिजेंद्रसिंह पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर, अमित कुमार पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी गोठड़ा भूकरान थाना दादिया जिला सीकर, राजू उर्फ राजेंद्र नैण पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नैणों की ढाणी तन खेड़ी राडान थाना बलारा जिला सीकर, श्रीमती सुमित्रा उर्फ सुमन पत्नी श्योपाल जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा तन बिडौदी थाना बलारा जिला सीकर, हंसराज पुत्र भगवानाराम जाति यादव निवासी सराय सूरपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं, सुरेंद्र कुमार पुत्र बंशीधर जाति यादव निवासी सांपा की ढाणी तन केरपुरा थाना खण्डेला जिला सीकर ,अभियुक्त कुलदीप चाहर पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी खांजी का बास रूप नगर थाना सदर

फतेहपुर जिला सीकर के विरूद्ध भा. दं. सं. की धारा 212 के तहत आरोप–पत्र पेश किया गया जो कि उपार्पित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 07–10–2018 को परिवादी सांवरमल कांस्टेबल 726 थाना कोतवाली फतेहपुर ने थाना सदर फतेहपुर पर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 06.10.2018 समय करीब 11.30 पीएम पर श्रीमान मुकेश कुमार कानूनगो पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी मय रामप्रकाश कांस्टेबल नम्बर 1049, रमेश नम्बर 900 व मैं कांस्टेबल सांवरमल 726 मय नीजि वाहन मय हथियार ड्रेगन लाइट अनुसंधान बोक्स के वास्ते गश्त बदमाशान चेकिंग व तलाश वांछित आरोपीगण अजय चोधरी पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 29 फतेहपुर, जगदीश उर्फ धनकड़ पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी खांजी का बास थाना सदर फतेहपुर की तलाश हेतु थाना से रवाना होकर समय करीब 11.45 पीएम पर जब आर के होटल बेसवा रोड पर पहूंचे तो श्रीमान मुकेश कुमार सीआई साहब को मुखबीर खास से इत्तला मिली कि अजय चैधरी व जगदीप उर्फ धनकड़ व उनके साथी फतेहपुर की तरफ एक सफेद बोलेरो गाडी नम्बर आरजे 10 यूए 6106 में आ रहे हैं जिस पर श्रीमान थानाधिकारी महोदय ने उक्त सूचना बाबत हमें बताया जिस पर हम सभी वहां से रवाना होकर उदनसरी स्टेण्ड से करीब दो किलोमीटर पहले पहूंचे तो सामने से एक बोलेरो गाड़ी नम्बर आरजे 10 यूए 6106 आती हुई दिखाई दी जिसे श्री मुकेश कुमार कानुनगो सीआई साहब मय हमराह जाप्ता ने रोककर चेक करने की कोशिश की तो उक्त गाड़ी में से अजय चोधरी पुत्र रामकुमार जाट जगदीप उर्फ धनकड़ पुत्र शीशपाल जाट निवासी खांजी का बास दिनेश आचार्य उर्फ लारा निवासी फतेहपुर ओमप्रकाश उर्फ ओपी पुत्र सोहन लाल जाट निवासी जलालसर तथा तीन चार अन्य व्यक्ति जिन्हें मैं शक्ल से आईंदा देखकर पहचान सकता हूं जो गाड़ी से नीचे उतरे उन सभी के हाथों में आग्नेयास्त्र थे जिनमें से अजय चोधरी ने श्री मुकेश कुमार कानूनगो को कहा कि तेरी मेरा पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई और गोली का फायर कर मुकेश कुमार सीआई साहब की हत्या कर दी बाद में जगदीप उर्फ धनकड़ ने कांस्टेबल रामप्रकाश को कहा कि तुमको बहुत दिन हो गये हमारे को ढूढने के लिए पीछे पडे हो यह कहकर जगदीप उर्फ धनकड़ ने रामप्रकाश पर फायर कर गोली मार कर हत्या कर दी तथा चार पांच अन्यों ने भी जिनमें से दिनेश आचार्य उर्फ लारा निवासी फतेहपुर, ओमप्रकाश उर्फ ओपी निवासी जलालसर तथा तीन चार अन्य व्यक्तियों ने हमारे उपर ताबड़ तोड़ फायरिंग की बचाव में हमने भी फायरिंग की । रिपोर्ट दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही बाबत चाहा गया ।....वगैरह आशय की रिपोर्ट पर थाना सदर फतेहपुर पर एफ. आई. आर. नंबर 124/2018 धारा 147, 148, 149,

302, 307, 353 भा.दं.सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण अजय चौधरी पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 29 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर, जगदीप उर्फ धनकड़ पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी खांजी का बास थाना फतेहपुर जिला सीकर, ओमप्रकाश उर्फ ओपी पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर, दिनेश कुमार उर्फ लारा पुत्र ओमप्रकाश जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला फतेहपुर थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर, आमीर पुत्र खान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चूड़ीमियां पीएस बलारा जिला सीकर, रामपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति रेपस्वाल निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया पुत्र बलवंत जाति रेपस्वाल निवासी भादड़वास थाना मण्डावा जिला झुंझूनूं, कैलाश नागौरी पुत्र फूसाराम जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर जिला सीकर, बलबीर पुत्र ईश्वर राम जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर, किरणपाल उर्फ मनीष पुत्र रामकुमार जाति हरिजन निवासी रायपुरकला थाना छायसां जिला फरीदाबाद हरियाणा, संजय कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं, दिनेश कुमार पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी कोलीड़ा थाना दादिया जिला सीकर, सुगना देवी पत्नी बलबीरसिंह जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर, बिजेंद्रसिंह पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर, अमित कुमार पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी गोठड़ा भूकरान थाना दादिया जिला सीकर, राजू उर्फ राजेंद्र नैण पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नैणों की ढाणी तन खेड़ी राडान थाना बलारा जिला सीकर, श्रीमती सुमित्रा उर्फ सुमन पत्नी श्योपाल जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा तन बिडौदी थाना बलारा जिला सीकर, हंसराज पुत्र भगवानाराम जाति यादव निवासी सराय सूरपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं, सुरेंद्र कुमार पुत्र बंशीधर जाति यादव निवासी सांपा की ढाणी तन केरपुरा थाना खण्डेला जिला सीकर के विरूद्ध भा. दं. सं. की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 341, 332, 353, 212, 120 बी व धारा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट एवं तत्पश्चात धारा 299 सीआरीपीसी में अभियुक्त कुलदीप चाहर पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी खांजी का बास रूप नगर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर के विरूद्ध भा. दं. सं. की धारा 212 के तहत आरोप–पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के यहां पेश किये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया ।

3. अभियुक्तगण अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, रामपाल, ओमप्रकाश उर्फ ओपी, आमीर, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया व दिनेश उर्फ लारा को धारा 148, 302, 302/149, 307, 307/149, 341, 332, 353, 120 बी भादंसं व धारा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट के तथा इनके अतिरिक्त शेष अभियुक्तगण को धारा 212/120 बी भादंसं के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में उपरोक्त सूचि अनुसार गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी. 01 लगायत प्रदर्श पी. 269 को प्रदर्शित कराया गया।

5. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्तगण को धारा 313 दं. प्र. सं. के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने गवाहान के कथनों को गलत बताया और कथन किया कि वह निर्दोष हैं । अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना जाहिर किया गया एवं प्रतिरक्षा में डीडब्लू 1 दिनेश उर्फ लारा को परीक्षित करवाया ।

6. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

7. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने मामले की पुष्टि में यह तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा पूर्व षडयंत्र में नियोजक होकर पुलिस थाना कोतवाली के तत्कालीन थानाधिकारी मुकेश कानूनगो तथा कांस्टेबल रामप्रकाश की साशय हत्या की । उनका उक्त कृत्य आहत चक्षुदर्शी साक्षीगण पीडब्लू 1 सांवरमल एवं पीडब्लू 2 रमेश की सशपथ साक्ष्य से साबित है । इसी के साथ सांवरमल व रमेश द्वारा अभियुक्तगण को पहचान कर उनकी शिनाख्त की है जिसमें किसी प्रकार का संदेह विद्यमान नहीं है । अभियुक्त अजय चौधरी से जब्तशुदा डोंगल से उसकी मौके पर उपस्थिति साबित हो रही है । अभियुक्तगण अजय चौधरी, जगदीप, रामपाल, ओमप्रकाश, अनुज एवं दिनेश उर्फ लारा से बिना अनुज्ञप्ति के हथियारों की बरामदगी की गयी है जो कि वारदात में उपयोग में लिये गये हैं । इस प्रकार उक्त अभियुक्तगण का कृत्य संदेह से परे साबित है । विद्वान अपर लोक अभियोजग द्वारा धारा 212 के तहत विचारित अभियुक्तगण के संबंध में यह तर्क दिया कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा मुख्य अभियुक्तगण अजय चौधरी वगैरह को वारदात के बाद भागने में मदद की है जबकि वे इस घटना से परिचित थे । इस हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है अतः अभियुक्तगण को उन पर आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उनके कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे ।

8. उक्त तर्कों का तल्ख विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विस्तृत बहस की गयी । अभियुक्तगण का पृथक पृथक अधिवक्तागण द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया । उक्त अधिवक्तागण द्वारा अभियोजन कहानी के विरोध में कुछ तर्क समानांतर रूप से इस

प्रकार दिये गये कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है । अभियुक्तगण की मौके पर उपस्थिति युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है । उन्होंने रोजनामचा वापसी प्रदर्श डी3 को संदर्भित करते हुए कहा कि प्रदर्श डी 3 के द्वारा गश्त पर गये पुलिस दल के सदस्यों की वापसी अंकित है जिसमें मुकेश कानूनगो व रामप्रकाश के गोली लगने से मृत्यु का हवाला है लेकिन इस बात का कोई अंकन नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा या किसके द्वारा उन्हें गोली मारी गयी । बचाव पक्ष की ओर से रोजनामचा प्रदर्श डी 3 को प्रथम सूचना रिपोर्ट की श्रेणी में रखते हुए यह तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण के नाम का हवाला ना होने से यह उपधारणा निर्मित होती है कि बाद में अभियुक्तगण को सोच समझकर व विचार विमर्श के पश्चात अभियुक्तगण को इस प्रकरण में सम्मिलित किया गया है ।

9. इसके साथ ही बचाव पक्ष सभी की ओर से अभियोजन कहानी पर यह आक्षेप किया गया कि इस प्रकरण में पीड़ितगण पुलिसकर्मी होने के बावजूद प्रकरण की रिपोर्ट घटना के लगभग नौ घण्टे बाद दर्ज करवायी गयी है जो कि यह दर्शाती है कि उक्त रिपोर्ट सोच समझकर एवं उच्चाधिकारियों से राय मशविरा कर दर्ज करवायी गयी है इसलिये उक्त रिपोर्ट में शुद्धता का अभाव है ।

10. अधिवक्ता अभियुक्तगण का सामूहिक रूप से अभियोजन कहानी पर एक अन्य आक्षेप यह रहा है कि जब सांवरमल व रमेश की जानकारी में चार नाम थे तो अभियुक्तगण जो कि आस पास के रहने वाले हैं उनके गांव में दबिश दी गयी हो इसका कोई रोजनामचा पत्रावली पर नहीं है ।

11. बचाव पक्ष का यह भी तर्क रहा है कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण के कॉल डिटेल रिकार्ड प्राप्त किये गये हैं लेकिन मृतक पुलिसकर्मीगण के कॉल डिटेल प्राप्त नहीं किये गये हैं जिससे यह स्पष्ट होता कि वे अपने थाने के क्षेत्राधिकार से बाहर मौके पर किसलिये गये थे तथा क्या वे मौके पर मौजूद थे । बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया कि पुलिस द्वारा उस गाड़ी को बदला गया है जिसमें मुकेश कानूनगो वगैरह गश्त पर गये थे क्योंकि चक्षुदर्शी साक्षीगण सांवरमल व रमेश गाड़ी को खून से लथपथ हो जाना कहते हैं लेकिन फोरेंसिक टीम की जांच में गाड़ी में केवल खून के धब्बे पाये गये हैं जो कि दर्शाते हैं कि उस गाड़ी को बदला गया है जिसमें मुकेश कानूनगो वगैरह गये थे । यह तर्क अभियोजन कहानी में संदेह पैदा करने में सहायक है ।

12. इसी के साथ अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण की जो शिनाख्तगी कार्यवाही करवाकर उन्हें अपराध में शामिल माना गया है वह शिनाख्तगी कार्यवाही दूषित है क्योंकि अनुसंधान अधिकारी ने स्वयं ने माना है कि

उसके पास लाये जाने तक अभियुक्तगण बापर्दा नहीं थे अतः पहचान उजागर होने से उनके विरूद्ध शिनाख्तगी कार्यवाही संबंधी साक्ष्य को साबित नहीं माना जा सकता । प्रकरण में प्रस्तुत छायाचित्र प्रदर्श पी 60 से 85 के संबंध में अधिवक्तागण द्वारा एतराज करते हुए कहा गया कि उक्त छायाचित्र बाबत कोई धारा 65 बी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है जिसके अभाव में उक्त छायाचित्र साक्ष्य में ग्राहय नहीं हैं ।

13. इसके अतिरिक्त अधिवक्तागण ने स्वयं द्वारा प्रतिनिधित्व किये जा रहे अभियुक्तगण के बारे में पृथक पृथक इस प्रकार तर्क दिये । अभियुक्त अजय चौधरी, ओपी, दिनेश कुमार, सुगना देवी, अमित कुमार एवं विजेंद्रसिंह की ओर से उनके अधिवक्ता श्री कपिल दहिया द्वारा बचाव में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस प्रकरण में अभियुक्त अजय चौधरी व ओमप्रकाश को गलत तरीके से शामिल किया गया है क्योंकि यदि वे मौके पर होते और उन्हें पहचान लिया जाता तो प्रदर्श डी 3 रोजनामचा में उसका अंकन होता । उन्होंने अजय चौधरी व ओमप्रकाश से हथियार की बरामदगी पर आक्षेप करते हुए कहा कि जिस स्थान से बरामदगी की गयी है वह स्थान अभियुक्तगण के अनन्य कब्जे में हो इस बाबत कोई साक्ष्य नहीं है । अजय चौधरी से आयुध की बरामदगी के समय मकान मालिक बलबीरसिंह के हस्ताक्षर नहीं करवाये जो कि उक्त बरामदगी में संदेह पैदा करता है । उन्होंने ओमप्रकाश उर्फ ओपी के संबंध में तर्क देते हुए कहा कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 में ओमप्रकाश उर्फ ओपी की कोई उपस्थिति नहीं दर्शायी जो कि मौके पर उसकी उपस्थिति को संदेहास्पद बनाती है । अभियुक्त अजय चौधरी की गिरफतारी तथा उससे डोंगल की बरामदगी के संबंध में आक्षेप उठाते हुए कहा कि अभियुक्त अजय चौधरी को दादर स्टेशन मुंबई से गिरफतार किया जाना कहते हैं जबकि उसकी गिरफतारी सीकर में आकर बनायी है जो कि गिरफतारी की शुद्धता को भंग करती है । इसी के साथ अभियुक्त अजय चौधरी से जामा तलाशी में डोंगल मिलना बताया है लेकिन डोंगल को उसी समय जब्त ना दिखाकर बाद में सुविधानुसार जब्त किया है । इसका कारण अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं बताया गया है । उन्होंने प्रकरण में प्राप्त कॉल डिटेल व आईपीडीआर पर आपत्ति करते हुए कहा कि उक्त रिपोर्टस फर्जी तरीके से तैयार की गयी हैं क्यों कि उनमें कॉल की तारीखें आगे पीछे हैं जबकि कम्प्यूटर जनित रिकार्ड में ऐसा नहीं होता है । उक्त अभियुक्तगण को अपराध से बचाने हेतु संश्रय देने के संबंध में अभियुक्तगण दिनेश कुमार, सुगना देवी, अमित कुमार एवं विजेंद्रसिंह के बचाव में यह तर्क दिया कि प्रथम तो उक्त व्यक्तियों को अपराध किये जाने के बारे में जानकारी ही नहीं थी और द्वितीयतः अभियोजन पत्रावली पर अभियुक्तगण की संस्वीकृति के अलावा ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जो कि उक्त अभियुक्तगण को अपराधी को संश्रय देने का आरोपी बनाती हो ।

अंत में उन्होंने अपने द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने रहे अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया ।

14. अभियुक्त अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया, रामपाल, जगदीप उर्फ धनकड़, राजू उर्फ राजेंद्र, सुमित्रा उर्फ सुमन के अधिवक्ता श्री भीमसिंह द्वारा अभियुक्तगण के बचाव में तर्क देते हुए कहा कि अभियुक्त अनुज व रामपाल का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही नहीं है जो कि यह दर्शाता है कि बाद में रंजिशवश उनका नाम जोड़ा गया है । उन्होंने उक्त अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही पर आक्षेप करते हुए कहा कि गवाहान की साक्ष्य से साबित है कि शिनाख्तगी से पूर्व वे बापर्दा नहीं थे इसलिये शिनाख्तगी संदिग्ध है । उक्त अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अनुज को भीलवाड़ा से दस्तयाब करना कहते हैं लेकिन तत्समय उसकी गिरफतारी नहीं बनायी जो कि अभियुक्त की दस्तयाबी को संदेहास्पद बनाती है । इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण से आयुध की बरामदगी पर आक्षेप करते हुए कहा कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा यांत्रिक तरीके से धारा 27 की ईत्तिला लेकर कमरे की टांण से बरामदगी करना बताया है तथा जिस स्थान से बरामदगी की गयी है वे स्थान अभियुक्तगण के अनन्य कब्जे में हों इस बाबत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे बरामदगी साबित नहीं है । धारा 212 आईपीसी में आरोपित अभियुक्तगण के संबंध में उन्होंने तर्क दिया कि उक्त व्यक्तियों को अपराध के बारे में जानकारी होने बाबत ना तो साक्ष्य उपलब्ध है और ना ही इस बाबत साक्ष्य उपलब्ध है कि उन्होंने अभियुक्तगण को संश्रय दिया हो । संपूर्ण अभियोजन मामला कमजोर प्रकृति का है जिसमें गंभीर संदेह विद्यमान है । अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे ।

15. अभियुक्तगण दिनेश कुमार उर्फ लारा व सुरेंद्र कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिलोक महला द्वारा अभियोजन मामले का विरोध किया गया । उन्होंने तर्क दिया कि दिनेश उर्फ लारा घटना के समय मौके पर मौजूद ही नहीं था जिसकी ताईद दीगर प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण सुरेश कुमार एवं सुनीता देवी के बयान क्रमशः प्रदर्श डी 13 व 14 से होती है । उक्त दोनों गवाह अभियुक्तगण पक्ष की ओर से पेश किये गये हैं जो कि दिनांक 06.10.2018 को शाम से 07.10.2018 को सुबह पांच छह बजे तक ग्राम नारी में सुरेश कुमार के घर पर मौजूद होना कहते हैं । इसी के साथ उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रकरण में दिनेश उर्फ लारा से जो हथियार की बरामदगी की गयी है वह भी संदेहास्पद है क्योंकि अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज एक अन्य प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 180/18 के अनुसंधान अधिकारी राजीव राहड़ ने अभियुक्त के मकान की तलाशी ली थी जिसमें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पायी गयी । इससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त से हथियार की

बरामदगी फर्जी तरीके से दिखायी गयी है । अभियुक्त सुरेंद्र के संबंध में उन्होंने तर्क दिया कि उक्त अभियुक्त द्वारा अपराधियों को संश्रय दिये जाने बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे ।

16. अभियुक्त आमीर व कैलाश उर्फ नागौरी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा द्वारा अभियोजन कहानी पर इस प्रकार आक्षेप किया गया कि अभियुक्त आमीर को दस्तायाब किये जाने के पश्चात उसकी गिरफतारी देरी से बनायी गयी और गिरफतारी तक उसे बापर्दा नहीं रखा गया इसलिये उसके विरूद्ध शिनाख्तगी संबंधी कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि साक्ष्य के दौरान पीडब्लू 23 भोलाराम से शिनाख्तगी कार्यवाही की तस्दीक नहीं करवायी है जिससे भोलाराम द्वारा की गयी शिनाख्तगी कार्यवाही साबित नहीं होती । अभियुक्त आमीर को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है । जहां तक कैलाश नागौरी का प्रश्न है तो कैलाश नागौरी की मौके पर उपस्थिति को साबित करने की पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है । अतः उक्त अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे ।

17. अभियुक्त संजय व कुलदीप की ओर से अधिवक्ता श्री इमरान खान एवं अभियुक्त किरणपाल व मनीष की ओर से अधिवक्ता श्री ..... द्वारा बचाव में यह तर्क दिया गया कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा किसी भी अपराधी को जानबूझकर मदद नहीं की । ना ही उन्हें अपने पास संश्रय दिया है । पत्रावली पर इस बाबत कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने किसी भी अभियुक्त को संश्रय दिया हो अतः ऐसी स्थिति में उक्त अभियुक्तगण उन पर आरोपित अपराधों में दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य हैं ।

18. अधिवक्तागण बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये जिनका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार हैः–

1) **बरकत अली उर्फ बाकी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2020(1) सीजे (क्रि०) (राज०) पेज 1** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि दूरभाषिक संदेश से भेजे गये कथन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जो कि अभियोजन मामले में संदेह पैदा करती है । इसी के साथ मूल एफआईआर को छुपाये जाने से मामला विश्वसनीय दर्शित नहीं होने से अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया गया ।

2) **चेतराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2021(1) सीजे (क्रि०) (राज०) पेज 1** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान देरी से दर्ज किये जाने एवं इसका उचित स्पष्टीकरण नहीं होने को संदेहप्रद माना । इसी के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दिये जाने में अवर्णित देरी को भी मामले के लिये घातक बताया है ।

3) **अशोकसिंह बनाम गुजरात राज्य 2019(3) सीजे (क्रि०) (सु.को.) पेज 818** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध किया गया कथन मामले के लिये घातक है ।

4) **हेमराज व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य 2005 सीआरएलजे 2152 सुप्रीम कोर्ट** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दस बजकर तीस एएम पर प्राप्त सूचना के बाद ग्यारह पैंतीस पीएम पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने को मामले के लिये घातक होना निर्धारित किया है ।

5) **नल्ला बोथू रामुल्लू बनाम आंध्रप्रदेश राज्य 2014 सीआरएलआर (एससी) पेज 1248** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां घटना रात्रि में हुयी हो और प्रकाश का साधन नहीं हो वहां अभियुक्त को पहचानना संदेहप्रद है तथा इस संबंध में साक्षीगण की साक्ष्य में आया विरोधाभास भी मामले के लिये घातक है ।

6) **सदाम हुसैन खान व अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2019(3) सीजे (क्रि०) (राज०) पेज 1641** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि मामले में आवश्यक होने के बावजूद मृतक का कॉल विवरण प्राप्त करने में विलोपन से मामले को संदेह की दृष्टि से देखने के लिये प्रेरित करता है ।

7) **पन्नालाल बनाम राजस्थान राज्य 2019(1) सीजे (क्रि०) (राज०) पेज 401** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि कॉल डिटेल रिकार्ड के संबंध में सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि के 65 बी के प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त रिकार्ड साक्ष्य में ग्राहय नहीं है ।

8) **पंकज बनाम राजस्थान राज्य 2016(4) सीजे (क्रि०) (सुप्रीम कोर्ट) पेज 1123** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि जहां घटना का उदगम तथा तरीका संदिग्ध हो वहां मामला संदेहास्पद होता है । इसी के साथ बरामद गोली को हथियार से जोड़ने वाली साक्ष्य नहीं हो वहां उसके आधार पर दोषसिद्धि की राय नहीं बनायी जा सकती ।

9) **मणी बनाम तमिलनाडु राज्य 2008 सीआरएलआर (सुप्रीम कोर्ट) 306** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि हस्तगत मामले में जहां से मृतक के खून के धब्बे प्राप्त किये गये हैं वह मकान अभियुक्त के कब्जे में होने बाबत पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के आधार पर अभियुक्त को इस मामले से नहीं जोड़ा जा सकता ।

10) **सुरेश सिंघल बनाम दिल्ली राज्य 2017 सीआरएलआर एससी पेज 175** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया है कि जहां अभियुक्त से बरामद हथियार

से मृतक को लगने वाली गोली का मिलान नहीं होता वहां यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा घटना में उक्त हथियार का प्रयोग किया गया है ।

11) **सुरेंद्र उर्फ बबली बनाम दिल्ली राज्य 2011 (Suppl.) सीआरएलआर सुप्रीम कोर्ट 46** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि बरामदशुदा आयुधों को एफएसएल भेजने में अवर्णित देरी बरामदगी को संदिग्ध बनाती है ।

12) **रामकिशन बनाम राजस्थान राज्य 2014(1) सीजे (क्रि०) (राज०) पेज 100** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि जहां धारा 3 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी करते समय मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है वहां दोषसिद्धि संवहनीय नहीं है ।

13) **रईस खान बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2008 (4) क्राईम्स (एमपी)** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि आयुध का अवलोकन किये बिना जारी की गयी स्वीकृति वैद्य अभियोजन स्वीकृति नहीं है ।

14) **नरसी बनाम हरियाणा राज्य 1999 सीआरएलआर (एससी) 12** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति में आयुध की बरामदगी को संदेहास्पद माना है ।

15) **जगदीश बनाम राजस्थान राज्य 2022(1) सीजे (क्रि०) (राज०) पेज 423** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि जहां घटनास्थल पूर्व से पुलिस के ज्ञान में था उस स्थिति में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त के विरूद्ध नहीं पढी जा सकती ।

16) **तरूण चतुर्वेदी बनाम राजस्थान राज्य 2016(3) सीजे (क्रि०) (राज०) पेज 1414** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अन्वेषण के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस से जो कुछ कहा गया है वह साक्ष्य में ग्राहय नहीं है

17) **उत्तरप्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद इकराम व अन्य 2011(3) सीजे (क्रि०) (सु०को०) पेज 896** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि साक्ष्य के दौरान आयी अभियुक्त के विरूद्ध परिस्थितियों को यदि धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अभियुक्त के समक्ष नहीं रखा गया तो उक्त साक्ष्य को अभियुक्त के विरूद्ध नहीं पढा जा सकता ।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों का इस न्यायालय द्वारा ससम्मान अध्ययन किया गया जिनका आवश्यकतानुसार निर्णय के अग्रवर्त्ती चरणों में उल्लेख किया जाएगा ।

19. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न विद्यमान हैः–

1.) **क्या दिनांक 06.10.2018 को समय लगभग 11.45 पीएम पर बेसवा रोड़ उदनसर के पास अभियुक्तगण अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, दिनेश उर्फ लारा, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया, रामपाल, आमीर व ओमप्रकाश उर्फ ओपी ने पुलिसकर्मीगण पर हमला करने का आपराधिक षडयंत्र रचते हुए उक्त षडयंत्र के अनुसरण में बिना अनुज्ञप्ति के घातक अग्नायुधों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन करते हुए पुलिस थाना कोतवाली के पुलिस दल के राजकार्य के निर्वहन में बाधा डालने एवं हत्या करने के आशय से पुलिस दल पर हमला किया जिससे मुकेश कुमार कानूनगो व रामप्रकाश कांस्टेबल की गोली लगने से मृत्यु हो गयी लेकिन रमेश कुमार व सांवरमल कांस्टेबल बाल बाल बचे । यदि उक्त हमले से रमेश कुमार व सांवरमल की मृत्यु हो जाती तो उक्त आरोपी, रमेश कुमार व सांवरमल की हत्या के भी दोषी होते ?**

2.) **क्या अभियुक्त हंसराज, सुरेंद्र, राजू उर्फ राजेंद्र, सुमित्रा उर्फ सुमन, सुगना देवी, बलबीर, किरणपाल उर्फ मनीष, संजय, कुलदीप, दिनेश कुमार, अमित कुमार, विजेंद्रसिंह व कैलाश उर्फ नागौरी ने यह जानकारी रखते हुए कि दिनांक 06.10.2018 को रात्रि में 11 पीएम पर अभियुक्तगण अजय चौधरी वगैरह द्वारा हत्या जैसा गंभीर अपराध किया है, उन्हें वैद्य दण्ड से बचाने के लिये जानबूझकर संश्रय अथवा फरार होने में सहयोग प्रदान किया है?**

3.) **यदि हां तो उक्त अपराधों में दोषसिद्ध पाये अभियुक्तों को किस प्रकार दण्डित किया जावे ?**

20. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया । इस प्रकरण में कुल बीस अभियुक्तगण का विचारण किया गया है । अभियोजन कहानी के अनुसार इन अभियुक्तगण में से अभियुक्त अजय चौधरी, दिनेश उर्फ लारा, जगदीप उर्फ धनकड़, ओमप्रकाश उर्फ ओपी, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया उर्फ लोढ्या, रामपाल व आमीर पर दिनांक 06.10.2018 को लगभग 11.45 पीएम पर रात्रि में बेसवा रोड़ पर कोतवाली थाने के पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने व दो पुलिसकर्मियों की हत्या करने के आरोप हैं । इनके अतिरिक्त अन्य तेरह अभियुक्तगण

कैलाश नागौरी, बलबीर, सुगना देवी, सुमित्रा उर्फ सुमन, कुलदीप, अमित जाट, किरणपाल उर्फ मनीष, संजय धींवा, दिनेश पुत्र मुकनाराम, राजू उर्फ राजेंद्र नैण, सुरेंद्र यादव, हंसराज यादव को उपरोक्त अभियुक्तगण के फरार होने या छुपने में मदद करने के आरोप में आरोपित किया गया है । अपराध की प्रकृति के अनुसार उक्त अभियुक्तगण दो भिन्न भिन्न प्रकृति के आपराधिक कृत्यों के लिये विचारित हैं अतः सुविधा की दृष्टि से उक्त अभियुक्तगण को उनके आपराधिक कृत्य की प्रकृति के अनुसार पृथक पृथक भागों में रखा जाकर, उपलब्ध साक्ष्य का पृथक पृथक विश्लेषण किया जाना उचित रहेगा । इसके लिये **प्रथम भाग** में अभियुक्तगण अजय चौधरी, दिनेश उर्फ लारा, जगदीप उर्फ धनकड़, ओमप्रकाश उर्फ ओपी, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया उर्फ लोढ्या, रामपाल व आमीर को रखा जाना उचित है तथा **द्वितीय भाग** में शेष अभियुक्तगण कैलाश नागौरी, बलबीर, सुगना देवी, सुमित्रा उर्फ सुमन, कुलदीप, अमित जाट, किरणपाल उर्फ मनीष, संजय धींवा, दिनेश पुत्र मुकनाराम, राजू उर्फ राजेंद्र नैण, सुरेंद्र यादव, हंसराज यादव जो कि धारा 212/120 बी भादंसं के अपराध के लिये विचारित हैं उन्हें रखा जाना उचित है ।

21. अतः सर्वप्रथम आपराधिक घटना के **प्रथम भाग में रखे गये अभियुक्तगण** अजय चौधरी, दिनेश उर्फ लारा, जगदीप उर्फ धनकड़, ओमप्रकाश उर्फ ओपी, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया उर्फ लोढ्या, रामपाल व आमीर के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है ।

22. अभियोजन कहानी यह वर्णन करती है कि अभियुक्तगण अजय चौधरी, दिनेश उर्फ लारा, जगदीप उर्फ धनकड़, ओमप्रकाश उर्फ ओपी, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया उर्फ लोढ्या, रामपाल व आमीर दिनांक 06.10.2018 को लगभग 11.45 पीएम पर जब बोलेरो गाड़ी आरजे 10 यूए 6106 से बेसवा रोड़ उदनसर के पास जा रहे थे तो कोतवाली फतेहपुर के पुलिसकर्मीगण द्वारा उन्हें रूकने का ईशारा करने पर अजय चौधरी ने मुकेश कानूनगो सीआई पर गोली चलाई और जगदीश उर्फ धनकड़ ने रामप्रकाश पर गोली चलायी जिससे उनकी मृत्यु हो गयी, अन्य अभियुक्तगण द्वारा भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी ।

23. इस प्रकरण में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज करवायी गयी है उसमें अभियुक्त अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, दिनेश उर्फ लारा तथा ओमप्रकाश उर्फ ओपी की मौके पर पहचान के आधार पर उनका नाम अंकित किया है एवं शेष अभियुक्तगण को सामने आने पर पहचानने का दावा किया है । इस घटना में इस तथ्य पर कोई सारवान विवाद नहीं है कि घटना के दौरान मृतक मुकेश कानूनगो के गले में गोली लगने से तथा मृतक रामप्रकाश की मृत्यु सीने में गोली लगने से हुयी है । बचाव पक्ष की ओर से पोस्टमार्टम

करने वाले चिकित्सक पीडब्लू 5 अरूण अग्रवाल, पीडब्लू 7 आशीष पुरोहित एवं पीडब्लू 8 राजेश ढाका से उक्त मृतकगण की मृत्य के बारे में विस्तृत प्रतिपरीक्षा अवश्य की है लेकिन न्यायालय के समक्ष उक्त प्रतिपरीक्षा का ऐसा कोई भी तथ्य उभारने में असफल रहे हैं जो कि इस तथ्य में संदेह पैदा करता हो कि उक्त दोनों मृतकों की मृत्यु प्रश्नगत घटना में गोली लगने से नहीं हुयी है । उक्त मृतकगण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विच्छेदित घाव के स्थान पर मेटेलिक फोरेन बॉडी भी पायी गयी जो कि इस तथ्य में विश्वास पैदा करती है की मृतकगण मुकेश कानूनगो व रामप्रकाश की मृत्यु गोली लगने से हुयी है । अब प्रश्न यह आता है कि क्या प्रश्नगत घटना के दौरान मुकेश कानूनगो व रामप्रकाश को गोली मारने में अभियुक्तगण अजय चौधरी, दिनेश उर्फ लारा, जगदीप उर्फ धनकड़, ओमप्रकाश उर्फ ओपी, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया उर्फ लोढ्या, रामपाल व आमीर की षडयंत्रपूर्ण भूमिका रही है ?

24. प्रथम भाग में अंकित अभियुक्तगण अजय चौधरी व अन्य के विरूद्ध आरोपित उक्त अपराध को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश की गयी है उसे विवेचन में सुविधा की दृष्टि से विभिन्न निम्न शीर्षकों में रखा गया है जिन पर निर्णय के अग्रवर्त्ती चरणों में विश्लेषण किया जाएगा ।

1) **चक्षुदर्शी साक्ष्य** – अभियुक्त अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, ओमप्रकाश उर्फ ओपी तथा दिनेश उर्फ लारा के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षीगण सांवरमल पीडब्लू 1 एवं रमेश मीना पीडब्लू 2 की सशपथ साक्ष्य ।

2) **शिनाख्तगी कार्यवाही** – अभियुक्त रामपाल, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया व आमीर को दस्तयाब कर उनकी पहचान सांवरमल पीडब्लू 1 तथा रमेश मीना पीडब्लू 2 से एवं बोलेरो गाड़ी पलटने पर आमीर को आयी चोटों का ईलाज करवाने जाते समय पहचानने वाले गवाह पीडब्लू 33 जयराम की सशपथ साक्ष्य ।

3) **अभियुक्त अनुज की न्यायिकेत्तर संस्वीकृति**

4) **नेटवर्क डाटा रिपोर्ट** – अभियुक्त अजय चौधरी से जीओ कंपनी का डोंगल (आर्टिकल 46) जब्त कर उसकी आईपीडीआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 267 से घटना के समय उसकी उपस्थिति घटनास्थल पर दर्शाये जाने बाबत साक्ष्य ।

5) **जैविक साक्ष्य** – अभियुक्तगण के रक्त के नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजकर बोलेरो संख्या आरजे 10 यूए 6106 से प्राप्त रक्त के नमूनों से मिलान होने बाबत जैविक साक्ष्य ।

6) **आयुध की बरामदगी** – आमीर के अतिरिक्त अन्य सभी अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी संबंधी साक्ष्य ।

7) **अभियोजन स्वीकृति ।**

8) **तस्दीक घटनास्थल** – अभियुक्तगण की इतिला के आधार पर उनसे तस्दीक करवाया गया वारदात का स्थान ।

25. इसी के साथ उक्त शीर्षकों में वर्णित साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन मामले पर प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा जो अन्य आक्षेप किये गये हैं उन पर भी सुसंगत विधि के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा । अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में शीर्षकवार विवेचन निम्नानुसार है,अभियोजन पक्ष द्वारा मुख्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में प्रस्तुत उक्त साक्ष्य पर न्यायालय का बिंदुवार विश्लेषण निम्न प्रकार हैः–

1) **चक्षुदर्शी साक्ष्य** –

26. इस संदर्भ में सर्वप्रथम चक्षुदर्शी साक्षी पीडब्लू 1 सांवरमल एवं पीडब्लू 2 रमेश की सशपथ साक्ष्य का अवलोकन किया । उक्त दोनों पुलिसकर्मीगण दिनांक 06.10.2018 को पुलिस थाना कोतवाली से थानाधिकारी मुकेश कानूनगो एवं कांस्टेबल रामप्रकाश के साथ थे। उक्त दोनों साक्षीगण की मुख्य परीक्षा का अवलोकन किया तो दर्शित हुआ कि दोनों ही साक्षीगण अपनी मुख्य परीक्षा में कमोबेश निम्न समानांतर कथन करते हैंः-

'कि दिनांक 06.10.2018 को समय लगभग साढे ग्यारह बजे रात्रि में थानाधिकारी मुकेश कानूनगो, रामप्रकाश कांस्टेबल नंबर 1049, रमेश नंबर 900 एवं सांवरमल नंबर 736 मय अनुसंधान किट सिविल ड्रेस में कैलाश जाट की प्राईवेट स्कार्पियो गाड़ी से लगभग 11.30 पीएम पर वास्ते गश्त इलाका व चैकिंग बदमाशान अजय चौधरी व जगदीप धनकड़ रवाना हुये । समय 11.45 पीएम पर आरके होटल बेसवा रोड़ पर मुकेश कानूनगो को मुखबिर से इतिला मिली की अजय चौधरी व जगदीप उर्फ धनकड़ फतेहपुर की तरफ से बोलेरो गाड़ी नंबर आरजे 10 यूए 6106 में आ रहे हैं जिस पर हम उदनसरी स्टेण्ड से करीब दो किमी पहले पहुंचे उक्त गाड़ी सामने आती दिखायी दी तो उसे रोककर चैक करने की कोशिश की इसके लिये मुकेश कानूनगो व रामप्रकाश नीचे उतरे तो अजय चौधरी ने मुकेश कानूनगो को ललकारते हुए कहा कि मेरा पीछा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुयी और अजय चौधरी ने मुकेश कानूनगो पर गोली चला दी बाद में जगदीप धनकड़ ने रामप्रकाश को ललकारा की तेरे को बहुत दिन हो गये हमारा पीछा करते हुये फिर रामप्रकाश के गोली मार दी जिससे दोनों गिर गये हमने भी बचाव में फायरिंग की और गाड़ी की सीट पर लेट गये फिर यह लोग गाड़ी में बैठकर बेसवा की तरफ भाग गये हम सीआई साहब मुकेश कानूनगो व कांस्टेबल रामप्रकाश को घायल अवस्था में गाड़ी में बिठाकर धानुका अस्पताल फतेहपुर लाये जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया'

27. इन गवाहान ने अपने सशपथ कथनों में यह बताया कि उन्होंने घटना के समय मुलजिम अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, दिनेश उर्फ लारा तथा ओमप्रकाश उर्फ ओपी को पहचान लिया था । गवाहान द्वारा अपने बयानों में बताया कि उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त घटना में लिप्त अन्य व्यक्तियों को जेल में तहसीलदार साहब द्वारा की गयी शिनाख्तगी कार्यवाही के दौरान उन्होंने आमीर, रामपाल एवं अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया के रूप में हाथ लगाकर सही पहचाना था । इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी का हुबहू वर्णन किया । इन गवाहान से बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी एवं गवाहान द्वारा बतायी गयी अभियोजन कहानी पर भी विभिन्न आक्षेप किये गये ।

28. बचाव पक्ष द्वारा सर्वप्रथम तो अभियोजन कहानी की आधारशिला प्रथम सूचना रिपोर्ट में आपत्ति उठायी । बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में घटना वाले दिन पुलिस थाना कोतवाली से रवाना हुये पुलिस दल की वापसी का रोजनामचा प्रदर्श डी 3 दर्ज किया गया है । उक्त रोजनामचा में पुलिस दल की बदमाशान से मुठभेड़ के बारे में तो अंकन है लेकिन किन बदमाशान से मुठभेड़ हुयी इसका अंकन नहीं है । साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 भी घटना के लगभग नौ घण्टे बाद दर्ज करवायी गयी है जिसका भी कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है । उनका यह भी कहना रहा कि हमला करने वाले व्यक्तियों के बारे में वस्तुतः जानकारी नहीं थी इसलिये रोजनामचा रपट प्रदर्श डी 3 में उनका नाम अंकित नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण के नाम उक्त तहरीरी रिपोर्ट में सोच समझकर लिखाये । देरीना रिपोर्ट के बिंदु पर बचाव पक्ष की ओर से न्यायिक दृष्टांत *हेमराज व अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं बरकत अली उर्फ बाकी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य* पेश किये जिनका ससम्मान अध्ययन किया गया ।

29. बचाव पक्ष के उक्त तर्क के संबंध में प्रदर्श डी 3 रोजनामचा एवं प्रदर्श पी 1 तहरीरी रिपोर्ट का अवलोकन किया । यह सही है कि प्रदर्श डी 3 रोजनामचा में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किन बदमाशान द्वारा मुकेश कानूनगो व रामप्रकाश पर गोली चलायी । इसी के साथ यह भी सही तथ्य है कि इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग नौ घण्टे बाद दर्ज करवायी गयी है लेकिन प्रश्नगत घटना से उपजित परिस्थितियों का अवलोकन करें तो उक्त देरी असाधारण दर्शित नहीं होती है । प्रश्नगत घटना में पुलिस थाना कोतवाली के थानाधिकारी समेत दो पुलिसकर्मियों की बदमाशान से मुठभेड़ में मृत्यु हो गयी । इस घटना के जो चक्षुदर्शी साक्षी एवं पुलिस दल के सदस्य थे वे भी हमला करने वाले व्यक्तियों की गोलियों का शिकार होने से बचकर आये थे । घटना में सुरक्षित रहे पुलिसकर्मीगण की उक्त

मनोदशा को दृष्टिगत रखते हुए यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि वे सामान्य मनःस्थिति में रहे हों । थानाधिकारी समेत साथी पुलिसकर्मी की बदमाशान से मुठभेड़ में मृत्यु एक बड़ी घटना है ऐसी स्थिति में रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने से पूर्व स्वयं को सामान्य कर समस्त घटना का उल्लेख करने में लगे समय के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज करवाये जाने में की गयी देरी असाधारण प्रकृति की है । इसलिये उक्त देरी इस मामले के लिये घातक नहीं है ।

बचाव पक्ष की ओर से इस अभियोजन कहानी के संबंध में एक यह भी एतराज रहा कि इस प्रकरण में पुलिसकर्मी शिवभगवान का भी मुकेश कानूनगो के साथ पुलिस दल में जाना एवं प्रदर्श डी 3 में उसकी वापसी अंकित की है जबकि शिवभगवान पीडब्लू 67 उक्त पुलिस दल के साथ जाने से मना करता है । अभियोजन कहानी का यह तथ्य संदेहास्पद है। बचाव पक्ष के उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया कि प्रदर्श डी 3 में सांवरमल वगैरह के साथ शिवभगवान कांस्टेबल की वापसी दर्शायी हुयी है लेकिन रवानगी रोजनामचा प्रदर्श डी 2 में उसका उल्लेख नहीं है । इसी के साथ पीडब्लू 67 शिवभगवान इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह बताता है कि घटना वाले दिन वह थानाधिकारी मुकेश कानूनगो के साथ जा अवश्य रहा था लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह गाड़ी से उतरकर वापस आ गया । रोजनामचा प्रदर्श डी 2 में शिवभगवान के नाम का उल्लेख ना होने एवं शिवभगवान द्वारा घटना के समय थानेदार के साथ ना जाने बाबत स्पष्टीकरण कर दिये जाने से, प्रदर्श डी 3 रोजनामचा वापसी में उसके नाम का उल्लेख की भूल स्पष्ट हो जाती है और इससे अभियोजन कहानी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है ।

30. अभियुक्त दिनेश उर्फ लारा के अधिवक्ता ने गवाह पीडब्लू 1 सांवरमल और पीडब्लू 2 रमेश मीना द्वारा अपने बयानों में दिनेश उर्फ लारा की मौके पर मौजूदगी पर आक्षेप करते हुए कहा कि दिनेश उर्फ लारा घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था क्योंकि इसी घटना के तुरंत बाद एक अन्य घटना के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 180/18 पुलिस थाना कोतवाली से संबंधित प्रकरण में विचारण के दौरान गवाह सुरेश कुमार व सुनिता देवी के बयान प्रदर्श डी 13 व 14 अभियोजन पक्ष द्वारा लेखबद्ध करवाये गये हैं जिन्होंने अभियुक्त दिनेश उर्फ लारा को दिनांक 06.10.2018 को शाम छह सात बजे से अगले दिन दिनांक 07.10.2018 को सुबह पांच छह बजे तक अपने घर पर होना बताया है । अतः उक्त दोनों साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त दिनेश उर्फ लारा की घटना के समय मौजूदगी प्रमाणित नहीं है । अधिवक्ता अभियुक्त दिनेश उर्फ लारा के उक्त तर्क के संबंध में प्रदर्श डी 13 व 14 पर विचार किया गया । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त के अन्यत्र

रहने के तर्क (Plea of Alibi) का सहारा लिया है । उक्त तर्क के संबंध में सुसंगत विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को उक्त तर्क ऐसी दशा में उपलब्ध है जबकि वह घटनास्थल पर ना होकर ऐसे स्थान पर होता है जहां से घटना के निकटस्थ समय में पहुंचा नहीं जा सकता । गवाह सुरेश कुमार व सुनीता देवी ग्राम नारी के निवासी हैं तथा घटना बेसवा रोड़ पर हुयी है। भौगोलिक दृष्टि से उक्त दोनों स्थानों की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है जिसको दृष्टिगत रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राम नारी में रहते हुए प्रश्नगत घटनास्थल पर नहीं पहुंचा जा सकता हो । प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षीगण सांवरमल व रमेश ने अपने सशपथ कथनों में मुलजिम दिनेश उर्फ लारा की अन्य अभियुक्तगण के साथ उपस्थिति को विरोधाभासों से परे स्थापित किया है ऐसी स्थिति में गवाह सुरेश कुमार प्रदर्श डी 13 बयानों में जो दिनेश उर्फ लारा को अपना दोस्त होना बताता है उसके संबंध में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह उसे बचाने के लिये उसके पक्ष में बयान दे रहा हो । अतः इस प्रकरण में अभियुक्त दिनेश उर्फ लारा को अन्यत्र रहने का तर्क (Plea of Alibi) संबंधी बचाव उपलब्ध नहीं है तथा अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क उसे कोई लाभ नहीं पहुंचाता है ।

31. बचाव पक्ष द्वारा उक्त दोनों चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य को परस्पर न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान रखा और उनमें विरोधाभासों को न्यायालय के समक्ष इंगित किया । बचाव पक्ष के उत्प्रेरण पर न्यायालय द्वारा उक्त दोनों साक्षीगण की साक्ष्य को ध्यानपूर्वक पढा गया तो यह दर्शित हुआ कि दोनों साक्षीगण नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 में मुलजिमान की उपस्थिति दर्शाये जाने के बारे में अंकन घटना के बाद सूचना दिये जाने के तरीके, एवं घटना के बाद की परिस्थितयों आदि के बारे में आंशिक विरोधाभासी कथन किये गये हैं लेकिन यदि तत्कालीन थानाधिकारी मुकेश कानूनगो के साथ उनका घटनास्थल पर जाने, घटना के दौरान अभियुक्तगण अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, दिनेश उर्फ लारा तथा ओमप्रकाश उर्फ ओपी के कृत्य के बारे में तथा घटना के बाद मुकेश कानूनगो व रामप्रकाश को वापस फतेहपुर अस्पताल लेकर आने के बारे में उक्त गवाहान की साक्ष्य के बारे में कोई भी सारवान विरोधाभास नहीं है । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **सी मुनीयप्पन व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 10 एससीआर 262** उल्लेखनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में सूक्ष्म एवं सारहीन विरोधाभासों की महत्ता के संबंध में निम्न मत प्रतिपादित किया हैः–

> *71. It is settled proposition of law that even if there are some omissions, contradictions and discrepancies, the*

entire evidence cannot be disregarded. After exercising care and caution and sifting through the evidence to separate truth from untruth, exaggeration and improvements, the court comes to a conclusion as to whether the residuary evidence is sufficient to convict the accused. Thus, an undue importance should not be attached to omissions, contradictions and discrepancies which do not go to the heart of the matter and shake the basic version of the prosecution's witness. As the mental abilities of a human being cannot be expected to be attuned to absorb all the details of the incident, minor discrepancies are bound to occur in the statements of witnesses

प्रस्तुत अभियोजन कहानी की उक्त मूल बातों के बारे में उक्त गवाहान पीडब्लू 1 सांवरमल व पीडब्लू 2 रमेश मीना मूलभूत बातों के संदर्भ में एकरूपता से बयान करते हैं जो कि उनकी साक्ष्य में विश्वसनीयता को उपजाता है । अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में उक्त साक्षीगण की साक्ष्य में दर्शित आंशिक विरोधाभास इस मामले की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करते हैं ।

32. अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य के संबंध में यह एतराज किया गया कि यह दोनों साक्षी मामले के महत्वपूर्ण गवाह थे तथा पुलिस को घटना के तुरंत बाद उनके पुलिस बयान लेखबद्ध किये जाने चाहिए थे लेकिन उक्त दोनों साक्षीगण के बयान देरी से लेखबद्ध किये गये हैं जो कि मामले में संदेह उपजाता है । उन्होंने इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत ***चेतराम बनाम राजस्थान राज्य*** (**उपरोक्त**) पेश किया जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान देरी से दर्ज किये जाने एवं इसका उचित स्पष्टीकरण नहीं होने से मामले को संदेहप्रद माना है । बचाव पक्ष के उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया । अनुसंधान के दौरान रिपोर्टकर्ता साक्षी सांवरमल के बयान दिनांक 07–10–2018 को ही लेखबद्ध कर लिये गये हैं तथा रमेश मीना के बयान दिनांक 08–10–2018 को लेखबद्ध किये गये हैं । सांवरमल के पुलिस बयान रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज होने के दिन ही लेखबद्ध कर लिये गये जिसमें किसी प्रकार की देरी का आभास नहीं होता है तथा रमेश मीना के बयान भी एक दिन बाद दर्ज किये गये हैं जो कि मामले की परिस्थितियों में असाधारण दर्शित नहीं होता है । न्यायालय द्वारा जैसा कि उपरवर्ती चरणों में उल्लेख किया गया कि उक्त दोनों चक्षुदर्शी साक्षीगण पुलिस की बदमाशान से मुठभेड़ की स्थिति से हालिया गुजरे थे तथा उनके साथी पुलिसकर्मीगण यहां तक कि थानाधिकारी की उक्त मुठभेड़ में मृत्यु हो गयी ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को सामान्य होने

में एक दिन का समय लगना असाधारण तथ्य नहीं है । अतः इस प्रकरण में न्यायालय को यह दर्शित नहीं होता कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अहम साक्षीगण के बयानात लेखबद्ध किये जाने में देरी की गयी है ।

33. इस प्रकार पीडब्लू 1 सांवरमल एवं पीडब्लू 2 रमेश मीना ने अपनी सशपथ साक्ष्य के माध्यम से दिनांक 06–10–2018 को रात्रि 11–45 पीएम पर बेसवा रोड़ उदनसर के पास पुलिस थाना कोतवाली के पुलिस दल पर अग्नायुधों से हमला करने वाले व्यक्तियों के रूप में मौके पर ही अभियुक्त अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, दिनेश उर्फ लारा व ओमप्रकाश उर्फ ओपी को पहचानने का तथ्य प्रमाणित किया है । उनसे की गयी प्रतिपरीक्षा से बचाव पक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं निकलवा पाया जो कि उक्त चक्षुदर्शी साक्षीगण की मौके पर मौजूदगी को संदेहास्पद बनाता हो या अभियुक्तगण की पहचान में संदेह पैदा करता हो । अतः चक्षुदर्शी साक्षीगण के रूप में पीडब्लू 1 सांवरमल एवं पीडब्लू 2 रमेश मीना प्रश्नगत घटना के समय हमलावर अभियुक्तगण में से अभियुक्तगण अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, दिनेश उर्फ लारा व ओमप्रकाश उर्फ ओपी को पहचान लेने तथा अभियुक्त अजय चौधरी द्वारा मृतक मुकेश कानूनगो पर व जगदीप उर्फ धनकड़ द्वारा रामप्रकाश पर अग्नायुध से वार करने के तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहे हैं । इसके अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण जिन्हें मौके पर देखकर बाद में शिनाख्तगी परेड के दौरान पहचाना गया उसके बारे में अगले शीर्षक में उल्लेख किया जाएगा ।

2) **<u>अभियुक्त अनुज, रामपाल व आमीर की शिनाख्तगी परेड बाबत साक्ष्य</u>**

34. अभियोजन कहानी के अनुसार मौके के चक्षुदर्शी साक्षीगण सांवरमल व रमेश द्वारा घटना के समय अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, ओमप्रकाश उर्फ ओपी एवं दिनेश उर्फ लारा को मौके पर ही पहचान लिया था जो कि न्यायालय के उपरोक्त वर्णित मत के अनुसार उक्त चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य से भी प्रमाणित हुआ है । उक्त अभियुक्तगण के अतिरिक्त चक्षुदर्शी साक्षीगण के द्वारा जिन व्यक्तियों को उक्त अभियुक्तगण के साथ देखा था कालांतर में अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा उनको गिरफतार कर चक्षुदर्शी साक्षीगण से उनकी शिनाख्तगी करवायी । वे व्यक्ति अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया, रामपाल व आमीर थे । साक्षी सांवरमल द्वारा उक्त तीनों अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही बाबत अपने सशपथ कथनों में सुसंगत कथन किये गये हैं तथा शिनाख्तगी कार्यवाही से संबंधित प्रलेखों को क्रमशः प्रदर्श पी 16 लगायत 18 के रूप में प्रमाणित किया है । इसी प्रकार साक्षी रमेश मीना द्वारा उक्त तीनों अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही बाबत अपने सशपथ कथनों में सुसंगत कथन किये गये हैं तथा शिनाख्तगी कार्यवाही से संबंधित प्रलेखों को क्रमशः प्रदर्श पी 22, 20 व 21

के रूप में प्रमाणित किया है । प्रकरण में परीक्षित साक्षी पीडब्लू 33 जयराम बाजिया ने भी अभियुक्त आमीर की शिनाख्तगी कार्यवाही में भाग लिया है । जयराम बाजिया द्वारा अभियुक्त आमीर की शिनाख्तगी के संबंध में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि घटना के दिन वारदात करने के बाद बोलेरो गाड़ी से भागने के दौरान उक्त गाड़ी के पलटने से अभियुक्त आमीर को चोटें आयी जिसे ईलाज हेतु नवलगढ ले जाते समय तत्कालीन उपनिरीक्षक पुलिस थाना नवलगढ पीडब्लू 33 जयराम बाजिया ने आमीर को देखा तथा कालांतर में उसकी पहचान की । अभियुक्त आमीर की प्रश्नगत घटना के समय मौजूदगी को स्थापित करने के लिये गवाह पीडब्लू 1 सांवरमल एवं पीडब्लू 2 रमेश मीणा की साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है । पीडब्लू 33 जयराम बाजिया केवल अभियुक्त आमीर को ईलाज के लिये लेने जाते समय पहचानना कहता है जो कि अभियुक्त के कृत्य के संबंध में कोई विशिष्ट साक्ष्य दर्शित नहीं करता है । अतः न्यायालय द्वारा अभियुक्त आमीर की शिनाख्तगी के संबंध में केवल गवाह पीडब्लू 1 सांवरमल व पीडब्लू 2 रमेश मीना की सशपथ साक्ष्य पर ही विचार किया जाना उचित है । उक्त शिनाख्तगी कार्यवाही करने वाले अधिकारी सुशील कुमार सैनी पीडब्लू 100 के रूप में परीक्षित हुए हैं जिन्होंने अपने सशपथ कथनों में अभियुक्त रामपाल, आमीर तथा अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया की शिनाख्तगी कार्यवाही किया जाना बताया है ।

35. उक्त शिनाख्तगी कार्यवाही का बचाव पक्ष द्वारा गंभीर आक्षेप लिये गये । अभियुक्त आमीर की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा गवाह पीडब्लू 39 राजीव राहड़ का बयान संदर्भित करते हुए कहा कि उसने अपने सशपथ कथनों में अभियुक्त आमीर को जब दस्तयाब करना बताया है तब अभियुक्त आमीर दस्तयाब करने के पश्चात अनुसंधान अधिकारी के समक्ष लाने एवं जयपुर ले जाने तक उसे बापर्दा रखे जाने बाबत मना करता है । उन्होंने अनुसंधान अधिकारी पीडब्लू 109 वीरसिंह की प्रतिपरीक्षा को संदर्भित करते हुए कहा कि उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके समक्ष अभियुक्तगण रामपाल, अनुज तथा आमीर को लाने तक वे बापर्दा नहीं थे । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह घटना रात्रि में हुयी है मौके पर रोशनी का कोई साधन नहीं था इसलिये अभियुक्तगण की सांवरमल व रमेश द्वारा पहचान भी दूषित है । अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही दूषित है । इस संबंध में उन्होंने न्यायिक दृष्टांत **नल्ला बोथू रामुल्लू बनाम आंध्रप्रदेश राज्य** (**उपरोक्त**) पेश किया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि जहां घटना रात्रि को हुयी हो प्रकाश का साधन नहीं हो वहां साक्षीगण द्वारा अभियुक्त को पहचानना संदेहप्रद है ।

36. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्कों पर उपलब्ध साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में मनन किया एवं न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया । पीडब्लू 39 राजीव राहड़, पीडब्लू 46

ताराचंद, पीडब्लू 47 श्रवण कुमार वे साक्षीगण हैं जो कि आमीर की तलाशी के लिये गये थे और जिनके द्वारा आमीर को दस्तयाब किया गया, ने अपने सशपथ कथनों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दस्तयाबी के बाद थाने लाने व प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिये जयपुर ले जाने तक अभियुक्त आमीर बापर्दा नहीं था । पीडब्लू 109 अनुसंधान अधिकारी वीरसिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त रामपाल व अनुज का अनुसंधान हेतु उसके समक्ष पेश होने पर एवं गिरफतार किये जाने तक बापर्दा नहीं होना बताया है लेकिन फिर भी उक्त गवाहान इस आशय का कथन नहीं करते हैं कि उनके द्वारा अभियुक्तगण आमीर, अनुज व रामपाल की पहचान उजागर की गयी हो । अभियुक्तगण की ओर से भी न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई विशेष तथ्य जाहिर नहीं किया गया है कि शिनाख्तगी कार्यवाही होने से पूर्व उनकी पहचान अमुक प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष या आमजन में सुनिश्चित कर दी गयी हो । बचाव पक्ष द्वारा यद्यपि अभियुक्तगण के नाम व फोटो अखबार में छापने बाबत प्रश्न किये गये हैं लेकिन किसी भी गवाह ने उक्त प्रश्नों का सकारात्मक जवाब नहीं दिया है एवं ना ही बचाव पक्ष अपनी किसी मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य से इस तथ्य को साबित कर पाया है कि अभियुक्तगण अनुज, रामपाल व आमीर की शिनाख्तगी कार्यवाही से पूर्व उनकी पहचान किसी भी गवाह या आमजन तक उपलब्ध करवा दी गयी हो । जहां तक घटना के समय रात्रि होने एवं रोशनी ना होने के कारण अभियुक्तगण की पहचान संदिग्ध होने बाबत तर्क का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रश्नगत घटना के समय दो वाहनों की लाईट उपलब्ध थी ऐसी स्थिति में अभियुक्तण को घटनास्थल पर देखे जाने बाबत पर्याप्त साधन उपलब्ध था इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि मौके पर अंधेरा होने के कारण गवाह सांवरमल व रमेश मीना द्वारा अभियुक्तगण की पहचान संदिग्ध तथ्य हो । इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **सुदर्शन रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य ए.आइ.आर. 2006 सु.को. 2716** उल्लेखनीय है जिसमें स्कूटर की रोशनी में हमला किये जाने के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस तर्क को अस्वीकार किया गया कि मौके पर रोशनी के साधन ना दर्शाये जाने से अभियोजन मामले को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए । अतः इस प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से रोशनी के अभाव से अभियुक्तगण की पहचान संबंधी दिया गया तर्क एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत *नल्ला बोथू रामुल्लू बनाम आंध्रप्रदेश राज्य* (उपरोक्त) अभियुक्तगण को कोई मदद नहीं करता है । इस प्रकार प्रदर्श 16 लगायत 18 एवं 20 लगायत 22 शिनाख्तगी संबंधी प्रलेखीय साक्ष्य एवं उनके संबंध में गवाह पीडब्लू 1 सांवरमल, पीडब्लू 2 रमेश मीना व पीडब्लू 100 सुशील सैनी की सशपथ साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि गवाह सांवरमल व रमेश द्वारा अभियुक्त अनुज उर्फ छोटा

पाण्डिया, रामपाल व आमीर की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की जो कि घटना वाले दिन दिनांक 06.10.2018 को रात्रि लगभग 11.45 पीएम पर बेसवा रोड़ फतेहपुर पर तत्कालीन थानाधिकारी मुकेश कानूनगो व उसके पुलिस दल पर हमला करने वालों में शामिल थे । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **संतोष देवीदास बेहाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य 2009(4) सुप्रीम 380** उल्लेखनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया है कि न्यायालय अन्य साक्ष्य से संपोषण हेतु बाध्य किये बिना अभियुक्त के विरूद्ध पहचान कार्यवाही संबंधी साक्ष्य ग्राहय कर सकता है । अतः प्रस्तुत प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी पीडब्लू 1 सांवरमल एवं पीडब्लू 2 रमेश मीना द्वारा किये गये कथनों एवं अभियुक्तगण आमीर, अनुज व रामपाल की शिनाख्तगी कार्यवाही से उक्त अभियुक्तगण की अन्य अभियुक्तगण अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, ओमप्रकाश उर्फ ओपी एवं दिनेश उर्फ लारा के साथ घटना के समय उपस्थिति साबित है ।

3) **अभियुक्त अनुज की न्यायिकेत्तर संस्वीकृति**

37. इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने गवाह पीडब्लू 12 श्योकरण, पीडब्लू 13 प्रभाती, पीडब्लू 17 मुकेश, पीडब्लू 18 शीशराम को इस तथ्य की पुष्टि में पेश किया गया था कि घटना के पश्चात अभियुक्त अनुज मौके से भागकर अपनी नानी के गांव हिरणा गया और वहां इन लोगों से घटना का जिक्र किया । उक्त साक्षीगण में से पीडब्लू 17 मुकेश व पीडब्लू 18 शीशराम अभियोजन कहानी से पक्षद्रोही हो गये जिन्होंने दिनांक 06.10.2018 की प्रश्नगत घटना के बाद अभियुक्त अनुज का हिरणा आने से एवं उनसे किसी घटना का जिक्र करने से स्पष्ट इनकार किया है ।

38. इसी संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह पीडब्लू 12 श्योकरण व पीडब्लू 13 प्रभाती पेश किये गये हैं उन्होंने अभियोजन कहानी के सुसंगत भाग को आंशिक रूप से पुष्ट किया है । गवाह पीडब्लू 12 श्योकरण यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया लेकिन इस गवाह ने अपने सशपथ कथनों में यह बताया कि *' अनुज मेरे भाई का दोहिता है । अनुज बीस बाईस साल का होगा । करीब अढाई साल पहले की बात है अनुज आया रोड़ पर से और आवाज मारी मेरे को तो मैं बाहर गया और कहा कि क्या बात है तो उसने बताया कि मैं धनकड़ के साथ था और झगड़ा हुआ, झगड़ा उदनसर रोड़ पर हुआ था, झगड़ा पुलिस वालों के साथ हुआ था । झगड़ा में किसने किसको मारा यह मेरे को अनुज ने नहीं बताया । ... ...रात के करीबन साढे बारह एक बजे आया था । अनुज के साथ और कोई नहीं था केवल अकेला ही था । अनुज ने मुझे बोला कि मुझे पानी पिला दो तो उसने झगड़े का नाम लिया तो मैंने पानी नहीं पिलाया और भगा दिया था उसको । अनुज*

पैदल आया था । अनुज ने बोला मैं धनकड़ के साथ था बदमाशी हो गयी गाड़ी पलटी खा गयी और मैं तो ईधर भाग आया । गाड़ी अनुज और धनकड़ बैठे थे वहीं पलटी खाना बतायी । ... .' इस प्रकार पीडब्लू 12 श्योकरण ने अभियोजन कहानी की इस बात को पुष्ट किया कि अभियुक्त अनुज ने घटना के बाद अपने नाना के भाई श्योकरण से जाकर पुलिस के साथ झगड़े की बात को बताया था ।

39. इसी प्रकार पीडब्लू 13 प्रभाती जो कि अभियुक्त अनुज का नाना है भी घटना के लगभग समय पर रात्रि ग्यारह बारह बजे हिरणा गांव में आना, धनकड़ द्वारा बड़े अधिकारी पर गोली चलाने वाली बात बताया जाना कहता है । इस प्रकार गवाह पीडब्लू 12 श्योकरण व पीडब्लू 13 प्रभाती घटना के पश्चात हिरणा गांव आने के तथ्य एवं अनुज द्वारा उन्हें इस बात को बताये जाने की पुष्टि करते हैं कि वह पुलिस से झगड़ा होने व धनकड़ द्वारा गोली चलाने जाने पर भागकर आया है ।

40. बचाव पक्ष की ओर से ना तो उक्त गवाह की प्रतिपरीक्षा में और ना ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी साक्ष्य से इस तथ्य को रखा है कि जिस झगड़े की बात अनुज ने श्योकरण व प्रभाती से की वह प्रश्नगत घटना से संबंधित ना होकर अन्य कोई झगड़ा था । इसी प्रकार बचाव पक्ष इस तथ्य को भी खण्डित करने में असफल रहे हैं कि प्रश्नगत घटना के समकक्ष समय पर घटना के पश्चात अभियुक्त अनुज हिरणा गांव नहीं गया हो तथा उसने श्योकरण व प्रभाती से झगड़े अथवा बड़े अधिकारी पर गोली चलाने की बात नहीं कही हो ।

41. पीडब्लू 12 श्योकरण व पीडब्लू 13 प्रभाती ने तत्समय अभियुक्त अनुज द्वारा कही गयी बातों का जिस प्रकार उल्लेख किया है उससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त अनुज तत्समय किसी दवाब या मत्तता के अधीन नहीं था । प्रभाती व श्योकरण रिश्ते में अभियुक्त अनुज के नाना लगते हैं ऐसी स्थिति में यह भी दर्शित होता है कि अपने द्वारा किये गये कृत्य को बताते समय वह इस विश्वास में था कि श्योकरण व प्रभाती को घटना बताने पर वे उसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करेंगे अर्थात तत्समय अभियुक्त अनुज अपने नाना प्रभाती एवं श्योकरण के साथ वैश्वासिक संबंधों में था अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त अनुज द्वारा घटना के बारे में श्योकरण व प्रभाती को जो वर्णन किया है वह न्यायिकेत्तर संस्वीकृति है । अभियुक्त अनुज ने घटना के तुरंत पश्चात पुलिस से झगड़ा होने का तथ्य स्वीकार किया है साथ ही धनकड़ द्वारा बड़े अधिकारी पर गोली चलाने के तथ्य (जैसा कि अभियोजन कहानी में अंकित है) को स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में गवाह श्योकरण व प्रभाती से अभियुक्त अनुज द्वारा बिना किसी दवाब एवं वैश्वासिक संबंधों में की गयी स्वीकारोक्ति, प्रश्नगत अपराध के संबंध में उसकी न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को साबित करती है ।

4) **नेटवर्क डाटा रिपोर्ट**

42. इस प्रकरण में अभियुक्तगण की एवं विशेष रूप से अभियुक्त अजय चौधरी की मौके पर उपस्थिति को प्रमाणित करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति की साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है । घटना में शामिल अभियुक्तो की तलाशी के लिये पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न दल गठित किये गये जिसमें से एक दल का रामचंद्र मूण्ड नेतृत्व कर रहे थे । रामचंद्र मूण्ड पीडब्लू 37 ने अपने सशपथ कथनों में बताया कि आरोपीगण की तलाश के दौरान दिनांक 14.10.2018 को मुलजिम अजय चौधरी तथा जगदीप उर्फ धनकड़ की दादर रेल्वे स्टेशन पर होने की सूचना पर वे वहां गये और उन्हें दस्तयाब किया । दस्तयाबी पर तलाशी के दौरान अभियुक्त अजय चौधरी के पास से रिलायंस का एक डोंगल, एक मोबाईल फोन, एक एटीएम तथा जगदीप उर्फ धनकड़ से एक एटीएम व कुछ रूपये बरामद हुये । उक्त अभियुक्तगण की जामा तलाशी में प्राप्त मोबाईल डोंगल आदि को दिनांक 16.10.2018 को पुलिस थाना सदर फतेहपुर के मालखाना रजिस्टर में क्रमांक 208 पर जमा किया जाना प्रदर्श पी 132 से दर्शित है । अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 104 अजय चौधरी से जामा तलाशी में मिले जीओ कंपनी के डोंगल व मोबाईल फोन आदि को जब्त किया । उक्त डोंगल (आईएमईआई नंबर 911522607671881) आर्टिकल 46 के संबंध में आईपीडीआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 267 प्रस्तुत की गयी है । उक्त इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिपोर्ट के संबंध में गवाह पीडब्लू 101 देवेंद्रपाल ने जीओ कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय के समक्ष आकर उक्त आईएमईआई नंबर वाले डोंगल की आईपीडीआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 267 बाबत उसकी अंतर्वस्तुओं की सत्यता के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिर्नियम का प्रमाण पत्र प्रदश 182 पेश किया है । उक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आईपीडीआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 267 में दिनांक 06.10.2018 को रात्रि 10.57 पीएम से दिनांक 07.10.2018 को रात्रि लगभग 01.36 एएम तक अभियुक्त अजय चौधरी की लॉकेशन घटनास्थल के आसपास के गांव व फतेहपुर में पायी गयी है ।

43. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में बचाव पक्ष का सर्वप्रथम यह तर्क रहा कि पुलिस द्वारा जहां से अभियुक्त अजय चौधरी को दस्तयाब करना बताया है उस जगह अर्थात दादर स्टेशन पर ना तो अभियुक्त की कोई गिरफतारी बनायी गयी है और ना ही उससे जब्तशुदा सामान डोंगल, मोबाईल आदि की तत्समय जब्ती बनायी गयी है । अतः सर्वप्रथम तो अभियुक्त अजय चौधरी से उक्त डोंगल की बरामदगी ही संदेहास्पद है । उन्होंने दूसरा आक्षेप यह किया कि प्रकरण में जब्तशुदा डोंगल आर्टिकल 46 किसके नाम से है इस बाबत अभियोजन पक्ष ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है । अतः ऐसी

सूरत में अभियुक्त अजय चौधरी को जो डोंगल के माध्यम से घटना से जोड़ा गया है वह साक्ष्य प्रमाणित नहीं है ।

44. बचाव पक्ष की उक्त तर्क के संबंध में मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में प्रश्नगत डोंगल की जब्ती के संबंध में कार्यवाही का अवलोकन करें तो उक्त डोंगल अभियुक्तगण की तलाशी वाले पुलिस दल के मुखिया रामचंद्र मूण्ड द्वारा अभियुक्त अजय चौधरी को दादर स्टेशन से दस्तयाब करते समय उसकी जामा तलाशी में बरामद किया । नियमानुसार जब किसी अभियुक्त को किसी अपराध के लिये अभिरक्षा में लिया जाता है एवं उससे कोई वस्तु बरामद की जाती है तो अभियुक्त के दैहिक अधिकारों की संरक्षा के लिये गिरफतारी पत्र तात्कालिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए तथा उससे प्राप्त वस्तुओं की बरामदगी की शुचिता को अक्षुण्ण रखने के लिये उसी समय बरामदगी की फर्द तैयार की जानी चाहिए । इस प्रकरण में अभियुक्त अजय चौधरी को जिस समय दस्तयाब किया गया उस समय उसकी गिरफतारी की फर्द नहीं बनायी गयी । यहां तक कि इस प्रकरण में रामपाल, जगदीप उर्फ धनकड़, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया, आमीर की भी दस्तयाबी के समय उनकी गिरफतारी की फर्द तैयार नहीं की गयी है । अनुसंधान के दौरान अभियुक्त की गिरफतारी के संबंध में विधि में उल्लेखित उक्त प्रक्रिया के अनुपालन ना किये जाने के प्रभाव के बारे में निर्णय के अग्रवर्त्ती चरणों में उल्लेख किया जाएगा । इस स्तर पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त अजय चौधरी से प्रश्नगत डोंगल आर्टिकल 46 की बरामदगी के बिंदु पर विचार किया गया । अभियोजन पत्रावली से यह दर्शित है कि पीडब्लू 37 रामचंद्र मूण्ड ने अजय चौधरी की दस्तयाबी के समय उससे एक डोंगल बरामद होना बताया है । उन्होंने यह जाहिर किया कि वे दादर स्टेशन से अभियुक्त अजय चौधरी को दिनांक 14.10.2018 को दस्तयाब कर दिनांक 16.10.2018 को फतेहपुर लेकर आये । पुलिस थाना सदर फतेहपुर के मालखाना रजिस्टर में क्रमांक 208 पर अभियुक्त अजय चौधरी की जामा तलाशी से उक्त डोंगल की बरामदगी एवं मालखाने में दिनांक 16.10.2018 को उसके जमा का उल्लेख अंकित है जो कि प्रदर्श पी 132 से दर्शित है । अतः यद्यपि अभियुक्त अजय चौधरी से बरामदशुदा माल की फर्द जब्ती दादर स्टेशन पर ही तैयार नहीं की गयी लेकिन उसकी दस्तयाबी पर उसकी जामा तलाशी में मिले सामान का अविलंब मालखाना में जमा कर दिये जाने से उक्त डोंगल की बरामदगी में युक्तिसंगत संदेह दर्शित नहीं होता है । यदि अभियुक्त से दादर स्टेशन पर ही बरामदगी कर उसे फतेहपुर आने पर मालखाने में जमा किया जाता तो ही उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता जो कि वर्तमान में किया गया है । अतः अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क सारहीन है कि मौके पर फर्द जब्ती ना बनाये जाने पर अभियुक्त से

डोंगल आर्टिकल 46 की बरामदगी संदेहास्पद हो जाती है । इस प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि डोंगल आर्टिकल 46 किसके नाम से जारी किया गया इस बाबत पर्याप्त प्रलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है लेकिन इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रायः लोग अन्य के नाम से जारी सिम, मोबाईल डिवाईस या इंटरनेट डिवाईस का प्रयोग कर लेते हैं ऐसी स्थिति में यह स्वीकार योग्य नहीं है कि जिस व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस का उपयोग किया जा रहा था वह उसी के नाम से हो । हालांकि केवल उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति की साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किये जाने की उपधारणा सृजित नहीं होती लेकिन इस प्रकरण में पीडब्लू 1 सांवरमल एवं पीडब्लू 2 रमेश मीना ने अपनी सशपथ साक्ष्य से अभियुक्त अजय चौधरी की मौके पर मौजूदगी एवं घटना में उसके विशिष्ट कृत्य को संदेह से परे प्रमाणित किया है इसलिये फर्द बरामदगी डोंगल प्रदर्श पी 104 एवं आईपीडीआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 267 , अभियुक्त अजय चौधरी की प्रश्नगत घटना के समय उपस्थिति को प्रमाणित करने हेतु उपयुक्त संपोषक साक्ष्य है ।

5) जैविक साक्ष्य

45. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत जैविक साक्ष्य के रूप में उन्होंने प्रकरण में जब्तशुदा बोलेरो गाड़ी नंबर आरजे 10 यू ए 6106 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जांच के लिये भेजा था जहां उक्त बोलेरो गाड़ी में लगे खून के धब्बों से जैविक नमूने लिये गये । इसी प्रकार अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, दिनेश उर्फ लारा, ओमप्रकाश उर्फ ओपी, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया, रामपाल एवं आमीर के रक्त के नमूने लेकर उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया जहां से रिपोर्ट प्रदर्श पी 261 प्राप्त हुयी है । उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी 261 के अनुसार बोलेरो गाड़ी नंबर आरजे 10 यूए 6106 से प्राप्त रक्त के नमूने अभियुक्त आमीर व रामपाल के रक्त के नमूनों से मिलते हुए पाये गये हैं । इसी प्रकार बोलेरो गाड़ी से जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 12 जब्तशुदा सामान में से जब्त बनियान पर मौजूद डीएनए अभियुक्त जगदीप के रक्त से प्राप्त डीएनए से मेल खाता हुआ पाया गया है ।

46. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य पर बचाव पक्ष द्वारा गंभीर आपत्ति की उन्होंने न्यायालय का ध्यान प्रदर्श पी 55 लगायत 57 पर आकर्षित किया तथा यह तर्क दिया कि अनुसंधान के दौरान केवल अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ ओपी के ही जैविक नमूने लिये गये इसके अतिरिक्त किसी भी अभियुक्त के जैविक नमूने लिये जाने बाबत किसी भी चिकित्सक की साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । चूंकि अभियुक्त ओमप्रकाश के अतिरिक्त किसी भी अभियुक्त के जैविक नमूने लिये जाने बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसिलये एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श

पी 261 में अभियुक्त रामपाल, आमीर व जगदीप के विरूद्ध दी गयी रिपोर्ट पढे जाने योग्य नहीं है ।

47. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्कों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया । विचारण के दौरान परीक्षित गवाह पीडब्लू 6 संजय खन्ना अपने सशपथ कथनों में केवल अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ ओपी का डीएनए जांच हेतु रक्त का नमूना लिया जाना कहता है । पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेख प्रदर्श पी 55 लगायत 57 में भी अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ ओपी का डीएनए जांच हेतु रक्त का नमूना लिया जाना अंकित है । इसके अतिरिक्त किसी भी मुलजिम का रक्त का नमूना लिये जाने बाबत कोई प्रलेख या उसकी सहमति बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता कि अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ ओपी के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण के जैविक नमूने कब लिये गये एवं क्या इसके लिये उनकी सहमति भी ली गयी अथवा नहीं । अतः अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ ओपी के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण के डीएनए जांच हेतु रक्त के नमूने लिये जाने बाबत साक्ष्य उपलब्ध ना होने से रिपोर्ट प्रदर्श पी 261 को अभियुक्त आमीर, रामपाल व जगदीप के संबंध में नहीं पढा जा सकता है । अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध एकत्रित की गयी जैविक साक्ष्य संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है ।

6) आयुध की बरामदगी

48. इस प्रकरण के अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण से प्राप्त पृथक पृथक इत्तिलाओं के आधार पर उनसे घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी की गयी है । अभियुक्त अजय चौधरी से प्राप्त इत्तिला प्रदर्श पी 230 के आधार पर एक कट्टा मय तीन जिंदा कारतूस व एक खाली खोखा जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 143 बरामद किया गया है । अभियुक्त जगदीप उर्फ धनकड़ से प्राप्त इत्तिला प्रदर्श पी 229 के आधार पर एक कट्टा मय दो जिंदा कारतूस जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 139 बरामद किया गया है । अभियुक्त दिनेश उर्फ लारा से प्राप्त इत्तिला प्रदर्श पी 270 के आधार पर एक कट्टा मय पांच जिंदा कारतूस व एक खाली कारतूस जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 145 बरामद किया गया है । अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ ओपी से एक पिस्तोल जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 116 बरामद किया गया है । अभियुक्त अनुज से प्राप्त इत्तिला प्रदर्श पी 238 के आधार पर एक देशी कट्टा मय तीन जिंदा कारतूस व एक खाली खोखा जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 152 बरामद किया गया है । अभियुक्त रामपाल से प्राप्त इत्तिला प्रदर्श पी 239 के आधार पर एक कट्टा मय दो जिंदा कारतूस व एक खाली खोखा जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 155 बरामद किया गया है ।

अनुसंधान अधिकारी वीरसिंह एवं उक्त बरामदगी के गवाहान ने अभियुक्तगण की सूचना से उक्त आयुधों की बरामदगी होना न्यायालय के समक्ष बताया है ।

49. बचाव पक्ष द्वारा उक्त आयुधों की बरामदगी के संबंध में न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है कि अभियुक्तगण से जिस स्थान से हथियार बरामद किये गये हैं वे स्थान अभियुक्तगण के अनन्य कब्जे में होने बाबत साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अनुसंधान अधिकारी ने बरामदगी स्थल के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जो कि उक्त आयुधों पर अभियुक्तगण के अनन्य कब्जे के तथ्य पर संदेह पैदा करता है । इस तर्क के संबंध में न्यायालय द्वारा विचार किया गया जिसके पश्चात न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण की सूचना पर जिन स्थानों से हथियारों की बरामदगी की गयी है उन स्थानों के बारे में यद्यपि अनुसंधान अधिकारी ने मालिकाना हक के दस्तावेज प्राप्त कर पत्रावली पर पेश नहीं किये हैं लेकिन यह तथ्य गौरतलब है कि वे स्थान अभियुक्तगण के अनन्य कब्जे में भले ही ना हों लेकिन बरामदगी स्थल पर रखे हुए आयुध अभियुक्तगण के अनन्य ज्ञान में थे । अभियुक्तगण से बरामदशुदा आयुध किसी खुले स्थान से बरामद नहीं हुये बल्कि घर में स्थान विशेष पर छुपाकर रखे हुये थे जो अभियुक्तगण के ज्ञान के आधार पर उन्होंने बरामद करवाये । ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह तथ्य स्वीकार नहीं है कि आयुध बरामदगी स्थल के मालिकाना हक के दस्तावेज संग्रहित कर पत्रावली पर पेश ना किये जाने से अभियुक्तगण से की गयी आयुध की बरामदगी में संदेह है बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा समुचित मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य पेश कर अभियुक्तगण अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, रामपाल, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया, ओमप्रकाश उर्फ ओपी तथा दिनेश उर्फ लारा से अग्नायुधों की बरामदगी को प्रमाणित किया है । उक्त अभियुक्तगण की ओर से उक्त आयुधों के अपने कब्जे में रखने बाबत किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र पेश नहीं किया है । अतः अवैध रूप से आयुधों को अपने कब्जे में रखने बाबत अभियुक्तगण अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, रामपाल, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया, ओमप्रकाश उर्फ ओपी तथा दिनेश उर्फ लारा के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित है ।

7) अभियोजन स्वीकृति

50. अभियुक्तगण से बरामदशुदा आयुधों के संबंध में तत्कालीन जिला कलेक्टर नरेश ठकराल द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 220 जारी की गयी । इस अभियोजन स्वीकृति पर अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति करते हुए कहा कि उक्त अभियोजन स्वीकृति विधि की दृष्टि में ग्राहय नहीं है क्योंकि स्वीकृति जारी करते समय संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आयुधों का अवलोकन ना कर मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है । इस संबंध में उन्होंने

न्यायिक दृष्टांत **रामकिशन बनाम राजस्थान राज्य (उपरोक्त)** तथा **रईश खान बनाम मध्यप्रदेश राज्य (उपरोक्त)** पेश किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया ।

51. अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 220 पर किये गये आक्षेपों के संबंध में मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया । प्रदर्श पी 220 अभियोजन स्वीकृति में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा केस डायरी के अवलोकन के पश्चात अभियुक्तगण से की गयी बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोजन स्वीकृति जारी की गयी है । अभियोजन स्वीकृति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **गुनवंती लाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य एआईआर 1972 सुप्रीम कोर्ट 1756** उल्लेखनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिव्यक्त किया हैः–

> *Under the Arms Act all that is required for sanction under Section 39, is, that the person to be prosecuted was found to be in possession of the firearm, the date or dates on which he was so found in possession and the possession of the firearm was without a valid licence. As all the elements are contained in the sanction in this case. It is not an illegal sanction nor can it be said that the charge travels beyond that sanction.*

इस प्रकार उक्त अभिमत के प्रकाश में अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 220 का अवलोकन किये जाने पर यह दर्शित होता है कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तगण से बरामदशुदा आयुधों एवं उसके लिये उनके पास वैध अनुज्ञप्ति ना होने के आधार पर अभियोजन स्वीकृति जारी की है जो कि अवैध नहीं मानी जा सकती है । अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में पूर्ण रूप से प्रयोज्य होने के कारण अभियुक्तगण से बरामदशुदा हथियारों के संबंध में अभियोजन स्वीकृति उनके विरूद्ध साबित होती है ।

8) तस्दीक घटनास्थल

52. इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण की इत्तिला पर उस स्थान को तस्दीक करवाया है जहां अभियुक्तगण ने पुलिस थाना कोतवाली के पुलिस दल पर हमला किया था । इस हेतु दौराने विचारण तस्दीक घटनास्थल द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ ओपी प्रदर्श पी 149, तस्दीक घटनास्थल द्वारा अभियुक्त दिनेश उर्फ लारा प्रदर्श पी 150, तस्दीक घटनास्थल द्वारा अभियुक्त अजय चौधरी प्रदर्श पी 158, तस्दीक घटनास्थल द्वारा अभियुक्त आमीर प्रदर्श पी 159, तस्दीक घटनास्थल द्वारा अभियुक्त जगदीप उर्फ धनकड़

प्रदर्श पी 160, तस्दीक घटनास्थल द्वारा अभियुक्त रामपाल प्रदर्श पी 161, तस्दीक घटनास्थल द्वारा अभियुक्त अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया प्रदर्श पी 162 को पेश किया ।

53. बचाव पक्ष द्वारा न्यायिक दृष्टांत **जगदीश बनाम राजस्थान राज्य (उपरोक्त)** पेश कर यह तर्क दिया कि जहां घटनास्थल पूर्व से अभियुक्त के ज्ञान में था वहां धारा 27 के अधीन सूचना अभियुक्त के विरूद्ध नहीं पढी जा सकती । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिये गये तर्क एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मत के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किये जाने के स्थान की जानकारी घटना के तुरंत बाद अनुसंधान अधिकारी को हो चुकी थी ऐसी स्थिति में ज्ञात तथ्यों के बारे में अभियुक्त से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सूचना उसके विरूद्ध नहीं पढी जा सकती है । उक्त सूचनाओं के आधार पर इस प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई उपधारणा निर्मित नहीं होती है ।

54. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम भाग में रखे गये अभियुक्तगण के विरूद्ध जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी उस पर उपरोक्त चरणों में विश्लेषण किया गया जिसके पश्चात प्रथम भाग में रखे गये अभियुक्तगण अजय चौधरी वगैरह के विरूद्ध चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य, शिनाख्तगी कार्यवाही से संबंधित साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, आयुधों की बरामदगी व अभियोजन स्वीकृति संदेह से परे प्रमाणित पायी गयी है ।

55. प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य का उपरोक्त शीर्षकों में विश्लेषण एवं निष्कर्ष के पश्चात प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभियोजन मामले पर उठायी गयी शेष आपत्तियों पर भी मनन एवं विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है जो कि इस प्रकार हैः–

प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा ली गयी अन्य आपत्तियां

56. प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभियोजन मामले के अनुसंधान पर तीव्र आक्षेप किये गये। उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा कि इस प्रकरण में अभियुक्त अजय चौधरी , जगदीप उर्फ धनकड़, रामपाल, आमीर, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया की दस्तयाबी एवं गिरफतारी में विधि के निर्देशों की पालना नहीं की गयी है । बचाव पक्ष द्वारा बहस के दौरान इस बात पर आक्षेप किया गया है कि जहां से मुलजिमान की दस्तयाबी हुयी वहीं गिरफतारी होनी चाहिए थी लेकिन पुलिस द्वारा ऐसा नहीं किया गया । इसी के साथ उन्होंने इस अभियोजन मामले के आरंभ के बारे में यह आक्षेप किया कि जिस स्थान पर घटना हुयी वह स्थान पुलिस थाना कोतवाली के क्षेत्राधिकार में नहीं था और ना ही उक्त अभियुक्तगण किसी मामले में वांछित थे ऐसी स्थिति में मृतक थानाधिकारी मुकेश कानूनगो का मौके पर जाना संदेहास्पद तथ्य है । इस संबंध में उन्होंने अनुसंधान अधिकारी के इस आचरण पर आपत्ति

उठायी कि अनुसंधान अधिकारी ने मृतक मुकेश कानूनगो द्वारा तत्समय की जा रही कार्यवाही की पुष्टि में मुकेश कानूनगो या उनके साथी पुलिसकर्मीगण की कॉल डिटेल प्राप्त नहीं की गयी जो कि यह दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष ने किन्हीं तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया है । अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू 36 मनोज स्वामी के बयान अनुसंधान अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये जाने पर भी आपत्ति जतायी क्योंकि उसकी इस घटना में कोई भूमिका नहीं थी फिर भी उसे गवाह रखा गया जो कि यह दर्शाता है कि अभियोजन कहानी के किन्हीं तथ्यों को छुपाया गया है । यह तथ्य अभियोजन कहानी में संदेह पैदा करता है ।

57. प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभियोजन कहानी पर अधिरोपित उक्त आक्षेपों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्वीकृत स्थिति है कि जिस स्थान से अभियुक्त अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, रामपाल, आमीर, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया को दस्तयाब किया गया, उक्त अभियुक्तगण की गिरफतारी दस्तयाबी के समय ही उस स्थान पर तैयार नहीं की गयी बल्कि दस्तयाबी कर्ताओं द्वारा उक्त अभियुक्तगण को अनुसंधान अधिकारी के समक्ष लाकर पेश किया गया जिसने फर्द गिरफतारी तैयार की । आपराधिक प्रकरणों में अभियुक्त की गिरफतारी एक महत्वपूर्ण विषय है । जब अभियुक्त कोई संज्ञेय अपराध करते हुए पाया जाता है उस दशा में अपराध कारित किये जाते समय ही पकड़ जाने के दौरान उसकी गिरफतारी उसके अपराध को प्रमाणित किये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है । अभियुक्त को अभिरक्षा में लिये जाने के पश्चात उसकी तुरंत फर्द गिरफतारी तैयार किया जाना उक्त अभियुक्त की दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों की सुनिश्चितता के लिये भी आवश्यक है । दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 57 में यह अंकित किया गया है कि वारंट के बिना गिरफतार किये गये व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित विशेष आदेश के अभाव में, यात्रा समय को छोड़कर 24 घण्टे से अधिक निरूद्ध नहीं रखा जावेगा । इस प्रकरण में अभियुक्त अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, रामपाल, आमीर, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया की दस्तयाबी किये जाने के पश्चात विधि के उक्त उपबंधों की पालना नहीं की गयी है और ना ही इसका कोई समुचित कारण दस्तयाबी करने वाले अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिया गया है । अभियुक्त को दस्तयाबी के तुरंत बाद गिरफतार ना किये जाने से यद्यपि अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त को कोई लाभ नहीं मिलता लेकिन तुरंत गिरफतार ना किये जाने से धारा 57 की अनुपालना नहीं किया जाना दर्शित होता है । अभियुक्तगण की दस्तयाबी के पश्चात यदि किसी दशा में उनको 24 घण्टे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था तो इसके लिये उन्हें विधिवत गिरफतार कर संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमाण्ड लेकर विधि

के उपबंधों की पालना एवं गिरफतार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए थी लेकिन उपरोक्त अभियुक्तगण को दस्तयाब किये जाने के पश्चात ऐसा नहीं किया गया जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की कानून की समझ पर प्रश्नचिन्ह अधिरोपित करता है । उनके इस अविधिक कृत्य का यद्यपि आरोपित अपराधों के संबंध में अभियुक्तगण को लाभ नहीं मिलता लेकिन तत्सामयिक उनके विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाना न्यायालय को दर्शित होता है ।

58. इसके पश्चात बचाव पक्ष के इस तर्क का जहां तक प्रश्न है कि घटनास्थल पुलिस थाना कोतवाली के क्षेत्राधिकार के बाहर था व अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई मामला पेण्डिंग नहीं था तो इस संबंध में न्यायालय का मत है कि उपलब्ध साक्ष्य से उक्त दोनों स्वीकृत परिस्थितियां हैं लेकिन इसके बावजूद साक्ष्य के दौरान यह तथ्य भी आया है कि घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस दल ने अभियुक्तगण को अपनी पहचान बता दी थी । इसके बावजूद अभियुक्तगण द्वारा पुलिस दल पर अग्नायुधों से हमला किया गया । इस हमले में पुलिस दल के मुखिया तत्कालीन थानाधिकारी मुकेश कानूनगो की मृत्यु हो गयी । मुकेश कानूनगो ही वह व्यक्ति था जो कि मौके पर जाने की वास्तविक परिस्थितियों को स्पष्ट कर सकता था । यह सही है कि उक्त परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हो पायी लेकिन फिर भी अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा रोकने पर उन्हें यह अधिकार नहीं हो जाता कि वे पुलिस दल पर हमला करें । अतः भले ही घटनास्थल पर मुकेश कानूनगो एवं उनके साथी पुलिसकर्मीगण के जाने का स्पष्ट कारण दर्शित नहीं है लेकिन केवल इस आधार पर अभियुक्तगण द्वारा पुलिस दल पर हमला किये जाने के आरोपों के संबंध में उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है ।

59. बचाव पक्ष द्वारा अनुसंधान पर आक्षेप करते हुए यह भी कहा कि अनुसंधान अधिकारी ने मृतक मुकेश कानूनगो व पुलिस दल की कॉल डिटेल प्राप्त नहीं की जो कि मामले में संदेहास्पद है । उनके इस तर्क के संबंध में न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध साबित करने के लिये मुकेश कानूनगो एवं उसके पुलिस दल की कॉल डिटेल कोई महत्व नहीं रखती है । बचाव पक्ष द्वारा भी अपनी ओर से ऐसा कोई सारवान आधार नहीं बताया गया है कि उक्त पुलिसकर्मीगण की कॉल डिटेल प्राप्त ना किये जाने से अभियोजन कहानी के अमुक तथ्य स्पष्ट नहीं हो पाया है । अतः ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का उक्त तर्क सारहीन है ।

60. बचाव पक्ष द्वारा मनोज स्वामी के कथन लेखबद्ध किये जाने पर भी आपत्ति की गयी है । उनकी यह आपत्ति पर न्यायालय को भी यह बात अजीब लगती है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा मनोज स्वामी के कथन किस तथ्य की पुष्टि में लेखबद्ध किये गये ।

अनुसंधान अधिकारी पीडब्लू 109 वीरसिंह ने भी अपने बयानों में इस बात का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया । बचाव पक्ष द्वारा बहस के दौरान अनुसंधान अधिकारी वीरसिंह के अनुसंधान पर विभिन्न अन्य आक्षेप भी अधिरोपित किये गये । उक्त आक्षेपों के संबंध में संपूर्ण अभियोजन पत्रावली पर विचार के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षीगण, पहचानकर्ता साक्षी, न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्षीगण व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से प्रथम भाग में रखे गये अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध किये जाने बाबत पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में अनुसंधान में कोई चूक या कोई संदेह परक परिस्थिति संपूर्ण अभियोजन मामले को दुष्प्रभावित नहीं करती हैं । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **अबू थाकीर बनाम तमिलनाडु राज्य** (2010) 4 एससीआर 794 में यह मत प्रतिपादित किया है किः–

> *21. We may have to deal with yet another submission made by the learned senior counsel for the appellants that the investigation was not fair as there were many missing links in the process of investigation. This submission was made by the learned counsel contending that the investigation does not reveal as to how the Investigating Officer came to know about the presence of PWs 2 to 4 at the scene of occurrence and for recording their statements in that regard. This Court in State of Karnataka vs. K. Yarappa Reddy4 held that "even if the investigation is illegal or even suspicious the rest of the evidence must be scrutinized independently of the impact of it. Otherwise the criminal trial will plummet to the level of the investigating officers ruling the roost. ... Criminal justice should not be made a casualty for the wrongs committed by the investigating officers in the case. In other words, if the court is convinced that the testimony of a witness to the occurrence is true, the Court is free to act on it albeit the investigating officer's suspicious role in the case". The ratio of the judgment in that case is the complete answer to the submission made by· the learned senior counsel for the appellants.*

इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त मत के प्रकाश में अनुसंधान में संदेहास्पद परिस्थितियां या लोप या अवैधता इस अभियोजन मामले को इसीलिये प्रभावित नहीं करती क्योंकि चक्षुदर्शी साक्षीगण सहित अन्य साक्ष्य से प्रथम भाग में रखे गये अभियुक्तगण अजय चौधरी वगैरह पर आरोपित कृत्य संदेह से परे प्रमाणित है । इसलिये अधिवक्ता बचाव पक्ष के उक्त तर्क अभियुक्तगण को कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं ।

61. अतः इस प्रकरण में किये गये उपरोक्त विवेचन से प्रथम भाग में रखे गये अभियुक्तगण अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, रामपाल, आमीर, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया,

ओमप्रकाश उर्फ ओपी एवं दिनेश उर्फ लारा पर आरोपित यह कृत्य युक्तिसंगत संदेह से परे प्रमाणित होता है कि दिनांक 06.10.2018 को रात्रि में लगभग 11.45 पीएम पर बेसवा रोड़ उदनसर के पास बोलेरो संख्या आरजे 10 यूए 6106 में जा रहे उक्त अभियुक्तगण को जब पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर के पुलिस दल के सदस्यों ने प्राईवेट गाड़ी से रोकने का प्रयास किया तो अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उदेश्य के अधीन रहते हुए उनमें से अभियुक्त अजय चौधरी द्वारा साशय फायर कर थानाधिकारी मुकेश कानूनगो पर गोली चलाई जिससे उसकी गले में गोली लगने से मृत्यु हो गयी । इसी प्रकार अभियुक्त जगदीप उर्फ धनकड़ ने पुलिस द्वारा पीछा करने की बात से नाराज होकर कांस्टेबल रामप्रकाश के सीने पर गोली चलाई जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । अन्य अभियुक्तगण द्वारा भी पुलिस दल के अन्य सदस्य सांवरमल व रमेश मीना की हत्या करने के आशय से उन पर गोली चलाई तथा उनके राजकार्य में बाधा कारित की । अभियुक्तगण अजय चौधरी एवं जगदीप उर्फ धनकड़ पर साबित पाये गये अपराधों के संबंध में वे धारा 148, 302, 307, 341, 332, 353 भादंसं एवं धारा 3/25 व 5/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किये जाने के अधिकारी हैं । अभियुक्तगण अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया, ओमप्रकाश उर्फ ओपी, दिनेश उर्फ लारा व रामपाल पर साबित पाये गये अपराधों के संबंध में वे धारा 148, 302/149, 307, 341, 332, 353 भादंसं एवं धारा 3/25 व 5/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किये जाने के अधिकारी हैं । अभियुक्त आमीर उस पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 148, 302/149, 307/149, 341, 332, 353 भादंसं के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किये जाने का अधिकारी है ।

62. इस प्रकरण में अभियुक्तगण पर उक्त अपराध कारित करने के षडयंत्र का भी आरोप लगाया गया है लेकिन उपलब्ध साक्ष्य से ऐसा दर्शित नहीं होता कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त कृत्य करने के लिये पूर्व योजना बनायी हो और उसके अनुसरण में पुलिस दल पर हमला किया हो । उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण को जैसे ही यह मालूम हुआ कि पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये उन्हें रोका गया है उसी समय पुलिस दल को अपने राजकीय कर्तव्यों से विरत रहने के लिये विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उसके सामान्य उदेश्य के अग्रसरण में हमला किया । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध कारित किये जाने हेतु पूर्व नियोजित योजना बाबत षडयंत्र का अपराध प्रमाणित नहीं होता है जिसके फलरूवरूप उपरोक्त अभियुक्तगण धारा 120बी भादंसं के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किये जाने के अधिकारी हैं । अभियुक्त आमीर से किसी प्रकार की आयुध की बरामदगी ना होने से वह धारा 3/25 व 5/27 आर्म्स एक्ट में दोषमुक्ति का अधिकारी है ।

63. प्रथम भाग में रखे गये अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन साक्ष्य पर विवेचन एवं निष्कर्ष के पश्चात द्वितीय भाग में रखे गये अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में साक्ष्य पर विवेचन इस प्रकार है,

द्वितीय भाग में रखे गये अभियुक्तगण (धारा 212 भादंसं से आरोपित)

64. सर्वप्रथम मुलजिम कैलाश उर्फ नागौरी के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में प्रस्तुत आरोप पत्र प्रदर्श पी 222 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि मुलजिम कैलाश उर्फ नागौरी को अभियुक्त अजय चौधरी व दिनेश उर्फ लारा को मोटरसाईकिल पर साथ बिठाकर कस्बा फतेहपुर में लाना एवं इसके बाद उक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा मुख्तयार फारूखी के घर पर उसे जान से मारने की नियत से फायरिंग करना पाया है । इससे यह दर्शित होता है कि मुलजिम कैलाश उर्फ नागौरी पर प्रश्नगत घटना के बाद अभियुक्त अजय चौधरी व दिनेश उर्फ लारा को दण्ड से बचाने एवं उन्हें फरार होने में मदद करने का आरोप है ।

65. निर्णय के पूर्ववर्ती चरणों में किये गये विवेचन से अभियुक्त अजय चौधरी एवं दिनेश उर्फ लारा की प्रश्नगत घटना में मृतक मुकेश कानूनगो एवं रामप्रकाश की हत्या करने एवं अन्य पुलिसकर्मीगण सांवरमल व रमेश की हत्या का प्रयास करने का तथ्य साबित हुआ है अतः न्यायालय को यह देखना है कि क्या कैलाश उर्फ नागौरी द्वारा घटना की जानकारी होने के बावजूद घटना के तुरंत बाद उक्त अभियुक्तगण को फरार होने में सहयोग किया है ?

66. अभियुक्त कैलाश उर्फ नागौरी पर आरोपित उक्त कृत्य के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पीडब्लू 48 मुख्तयार, 49 इमरान उर्फ बख्तयार, 105 अतीका फारूकी व 106 जाकीरा को पेश किया । इसी के साथ प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में उसके द्वारा दी गयी साक्ष्य अधिनियम की इतिला धारा 27 प्रदर्श पी 245, नक्शा निशादेही प्रदर्श पी 142 और उससे संबंधित साक्षी पीडब्लू 73 मुकेश, पीडब्लू 88 शुभकरण एवं अनुसंधान अधिकारी पीडब्लू 109 वीरसिंह पेश हुये ।

67. उक्त साक्ष्य पर विश्लेषण के क्रम में सर्वप्रथम प्रलेखीय साक्ष्य पर मनन करें तो उक्त साक्ष्य अभियुक्त कैलाश उर्फ नागौरी द्वारा अपराध की संस्वीकृति रूपक है । फर्द इतिला प्रदर्श पी 245 जो कि पुलिस अभिरक्षा के दौरान दी गयी थी, में उसके द्वारा उक्त अपराध की संस्वीकृति रूपक कथन किये गये हैं जो धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राहय नहीं हैं । उक्त इतिला कालांतर में किसी भी सुदृढ साक्ष्य से संपुष्ट नहीं हुयी है ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी 245 फर्द इतिला व उसके आधार पर तैयार की गयी नक्शा

निशादेही प्रदर्श पी 142 से इस प्रकरण में अभियुक्त कैलाश उर्फ नागौरी के विरूद्ध अपराध किये जाने की उपधारणा निर्मित नहीं होती है ।

68. इसके पश्चात अभियुक्त कैलाश उर्फ नागौरी पर आरोपित कृत्य के संबंध में गवाह मुख्तयार, इमरान उर्फ बख्तयार, अतीका व जाकीरा की साक्ष्य विश्लेषण हेतु उपलब्ध है । उक्त चारों साक्षीगण आपस में भाई बहन हैं जो अपने सशपथ कथनों में यह बताते हैं कि दिनांक 06.10.2018 की रात में लगभग एक बजे अजय चौधरी, दिनेश लारा व कैलाश नागौरी मोटरसाईकिल से चलकर घर पर आये और अजय चौधरी ने गोली चला दी । गवाह मुख्तयार पीडब्लू 48 एवं इमरान उर्फ बख्तयार पीडब्लू 49 ने यद्यपि यह घटना 06.07.2018 की बतायी लेकिन घटना के माह के बारे में की गयी भूल मानवीय प्रकृति की दर्शित होती है क्योंकि अन्य दोनों साक्षी अतीका व जाकिरा ने घटना का समय 06.10.2018 बताते हुए तरीका वही बताया है जो कि उक्त दोनों साक्षीगण ने बताया है । अतः इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि गवाह मुख्तयार व बख्तयार दिनांक 06.10.2018 की घटना का ही वर्णन कर रहे हैं ।

69. उनके द्वारा बतायी गयी घटना के संबंध में पृथक से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 180/18 पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज है जिसका विचारण इसी न्यायालय में सेशन प्रकरण संख्या 01/19 के रूप में चल रहा है । उक्त गवाहान द्वारा बतायी गयी घटना के आधार पर न्यायालय को कैलाश उर्फ नागौरी के इस कृत्य को देखना है कि क्या उसने अभियुक्तगण अजय चौधरी व दिनेश उर्फ लारा को पुलिसकर्मीगण की हत्या का अपराध जानते हुए उन्हें दण्ड से बचाने के लिये भागने में मदद की ?

70. गवाह पीडब्लू 48 मुख्तयार, 49 इमरान उर्फ बख्तयार, 105 अतीका फारूकी व 106 जाकीरा ने अपने सशपथ कथनों के दौरान दिनांक 06.10.2018 को रात्रि में लगभग एक बजे वार्ड नंबर 05 फतेहपुर स्थित उनके घर पर दिनेश उर्फ लारा व अजय चौधरी के साथ कैलाश नागौरी का घर पर आना एक स्वर में कहते हैं । पीडब्लू 105 अतीका, कैलाश नागौरी के संबंध में अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहती है कि नागौरी हाईवे पर मुंह करके खड़ा था तथा प्रतिपरीक्षा में यह बताती है कि यदि कोई आदमी हाईवे की तरफ मुंह करके खड़ा हो तो घर के अंदर से उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता । पीडब्लू 105 अतीका के उक्त कथनों से यद्यपि कैलाश नागौरी की मौके पर उसके द्वारा पहचान में संदेह उत्पन्न होता है लेकिन कैलाश नागौरी से पूर्व परिचित गवाह पीडब्लू 48 मुख्तयार एवं 49 इमरान उर्फ बख्तयार द्वारा अपने सशपथ कथनों में माध्यम से संदेह से परे कैलाश नागौरी की पहचान स्थापित किये जाने के कारण पीडब्लू 105 अतीका के उक्त कथन कैलाश नागौरी की

पहचान पर कोई प्रभाव नहीं डालते । उक्त चारों गवाहान से जो जिरह की गयी है उस जिरह में बचाव पक्ष फतेहपुर की उक्त घटना के समय कैलाश नागौरी की उपस्थिति में कोई संदेह पैदा नहीं कर पाया है । अतः गवाह पीडब्लू 48 मुख्तयार, 49 इमरान उर्फ बख्तयार, 105 अतीका फारूकी व 106 जाकीरा की सशपथ साक्ष्य इस तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करती हैं कि अभियुक्त कैलाश नागौरी दिनांक 06.10.2018 व 07.10.2018 की मध्य रात्रि में लगभग एक बजे अभियुक्त दिनेश उर्फ लारा एवं अजय चौधरी के साथ मौजूद था ।

71. अब प्रश्न यह आता है कि क्या कैलाश नागौरी को इस बात की जानकारी थी कि अभियुक्त दिनेश उर्फ लारा व अजय चौधरी इस घटना से पूर्व पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर के पुलिसकर्मीगण पर फायरिंग करके भागे हैं । इस संबंध में गवाह पीडब्लू 105 अतीका व 106 जाकीरा ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि फायरिंग करते समय अभियुक्तगण पुलिसवालों को मारकर आने की बात कह रहे थे लेकिन इस तथ्य का बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में इस तरह खण्डन करवाया है कि उनके पुलिस बयान प्रदर्श डी 10 व डी 11 में अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कहने का उल्लेख नहीं है । अतः गवाह पीडब्लू 105 अतीका व 106 जाकीरा द्वारा अपने पूर्व कथनों में सुधार करते हुए किया गया उक्त कथन विधि अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध पढे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकार दिनांक 06.10.2018 को रात्रि में पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर के पुलिस दल पर हमले के पश्चात अभियुक्त कैलाश नागौरी का अभियुक्त अजय चौधरी व दिनेश उर्फ लारा के केवल साथ रहने का तथ्य ही न्यायालय के समक्ष पुष्ट हुआ है । इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण अजय चौधरी व दिनेश उर्फ लारा द्वारा अभियुक्त कैलाश नागौरी को यह बता दिया गया हो कि वे थाना कोतवाली फतेहपुर के पुलिस दल पर हमला करके आये हों । ऐसा हो भी सकता है कि अभियुक्तगण अजय चौधरी व दिनेश उर्फ लारा ने अभियुक्त कैलाश नागौरी को उक्त घटना के बारे में बताया हो लेकिन इस बात को पुष्ट करने के लिये कोई भी साक्ष्य नहीं है । केवल अनुमान के आधार पर अभियुक्त कैलाश उर्फ नागौरी को पुलिस दल पर हमले की जानकारी के तथ्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है । पुलिस दल पर हमले और मुख्तयार वगैरह के परिवार पर हमले के मध्य केवल कुछ घण्टों का अंतर है व दोनों ही घटनायें एक ही रात्रि की हैं इसलिये इस तथ्य की उपधारणा भी नहीं की जा सकती कि आमजन से या अन्य किसी माध्यम से उसे पुलिस दल पर हमले की जानकारी हो गयी हो । जैसा की पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि अभियुक्त कैलाश नागौरी द्वारा दी गयी इतिला प्रदर्श पी 245 उसके विरूद्ध नहीं पढी जा सकती इसलिये इस प्रकरण में इस तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करने बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध

नहीं रहती है कि अभियुक्त कैलाश उर्फ नागौरी को अभियुक्त अजय चौधरी व दिनेश उर्फ लारा द्वारा पुलिस दल पर किये गये हमले की जानकारी होने के बावजूद उसने दण्ड से बचाने के लिये उक्त अभियुक्तगण को भागने में सहायता की हो ।

72. इसके पश्चात धारा 212 आईपीसी मे आरोपित सुगना के संबंध में विवेचन किया जाना अपेक्षित है । प्रकरण में प्रस्तुत आरोप पत्र प्रदर्श पी 222 में यह अंकित किया है कि बलबीर, अजय चौधरी का मामा है तथा सुगना उसकी मामी है । बलबीर ने अजय चौधरी के फरार होने के दौरान पुलिस पर नजर रखी और सुगना स्कूटी पर ले जाकर उसे रानोली तक छोड़कर आयी । इस प्रकरण में बलबीर मफरूर है अतः उसके संबंध में मत व्यक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है । जहां तक आरोपी सुगना का प्रश्न है तो आरोप पत्र में अंकित इस तथ्य को साबित करने के लिये अभियुक्तगण द्वारा पुलिस की पूछताछ के दौरान दी गयी साक्ष्य के अतिरिक्त पत्रावली पर कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं है । यद्यपि उक्त स्कूटी को दौराने अनुसंधान जब्त किया गया है लेकिन उक्त जब्ती अभियुक्त सुगना को उन पर आरोपित अपराध से जोड़ने के लिये स्वमेव सुदृढ साक्ष्य नहीं है । इसके साथ ही यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि इस पत्रावली पर इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिये कोई गवाह नहीं आया कि जब सुगना द्वारा कथित रूप से अभियुक्त अजय चौधरी की मदद की जा रही थी तो उस समय उसे अभियुक्त अजय चौधरी द्वारा की गयी वारदात के बारे में ज्ञान था । अतः इस प्रकरण में अभियुक्त सुगना के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 212 भादंसं संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है ।

73. इसके पश्चात अभियुक्त राजू नैण, कुलदीप व सुमित्रा पर आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्लू 23 भोलाराम सैनी दिनांक 07.10.2018 को किसी व्यक्ति को राजू नैण द्वारा उसके पास ईलाज के लिये लाना कहता है । पीडब्लू 33 जयराम जो तत्समय नवलगढ थाने पर उपनिरीक्षक था वह बताता है कि राजेंद्र नैण, कुलदीप एक घायल व्यक्ति को ले जा रहे थे जिन्हें पूछताछ के बाद एवं सुमन नामक महिला से बात करने के बाद जाने दिया था । बाद में उक्त गवाह ने घायल व्यक्ति को मुलजिम आमीर के रूप में पहचाना । आरोप पत्र में यह तथ्य अंकित किया गया है कि अभियुक्त आमीर की फोटो के बारे मे आमीर ने एवं राजू नैण, कुलदीप ने यह बताया कि उसे मोटरसाईकिल से गिरने से चोटें आयी हैं । इस संपूर्ण पत्रावली में इस तथ्य को संपुष्ट करने के लिये कोई भी ऐसी सुदृढ साक्ष्य नहीं है जो कि संदेह से परे यह तथ्य स्थापित करती हो कि अभियुक्त आमीर के साथ रहते हुए या उसका ईलाज कराते समय उन्हें इस बात की जानकारी रही हो कि वह पुलिस दल पर हमला करके आया है । इस बात का केवल अनुमान लगाया जा

सकता है कि अभियुक्त राजू नैण, कुलदीप और सुमित्रा को पुलिस दल की हमले की बात पता हो लेकिन अनुमान के आधार पर आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि विधि में अनुमत नहीं है । जब तक इस तथ्य को साबित करने के लिये प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध ना हो या प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव होने पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य कड़ीबद्ध ना हों तब तक अपराध की संदेह से परे पुष्टि की उपधारणा नहीं की जा सकती है । इस प्रकरण में पुलिस दल पर हमले की घटना का समय एवं अभियुक्त आमीर वगैरह का उक्त अभियुक्तगण से मुलाकात के समय के बीच अधिक समयांतर नहीं था तथा समय भी रात्रि का था ऐसी स्थिति में इस तथ्य की निश्चायक उपधारणा निर्मित नहीं होती है कि उक्त अभियुक्तगण को किसी माध्यम से अभियुक्त आमीर वगैरह द्वारा कारित अपराध के बारे में जानकारी रही हो । अतः उपरोक्त विश्लेषण के निष्कर्ष स्वरूप अभियुक्त राजू नैण, कुलदीप व सुमित्रा के विरूद्ध धारा 212 भादंसं का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है ।

74. इसके पश्चात अभियुक्तगण किरणपाल, अमित जाट, संजय धीवां, सुरेंद्र यादव, विजेंद्र व दिनेश पुत्र मुकनाराम पर आरोपित अपराध के संबंध में सशपथ साक्ष्य का अवलोकन करें तो किरणपाल को अजय चौधरी का दोस्त होना बताकर एवं उससे बातचीत संबंधी सीडीआर पेश कर उसे आरोपित किया गया है । इसी प्रकार अमित जाट, संजय धीवां, सुरेंद्र यादव, विजेंद्र को अभियुक्तगण द्वारा पुलिस की पूछताछ के दौरान की गयी सूचना या अभियुक्तगण से उनकी बातचीत के आधार पर उन्हें इस प्रकरण में अभियुक्तगण को संश्रय देने का आरोपी बनाया गया है । पुलिस की पूछताछ के दौरान मुख्य अभियुक्तगण ने उपरोक्त अभियुक्तगण अमित जाट वगैरह के विरूद्ध जो कथन किये हैं वे किसी सुदृढ साक्ष्य के संपोषण के बिना उनके विरूद्ध नहीं पढे जा सकते हैं । इसी के साथ मुलजिम अमित जाट, संजय धीवां, सुरेंद्र यादव, विजेंद्र द्वारा यदि मुख्य अभियुक्तगण से फोन पर बात भी की गयी है तो भी केवल यह तथ्य उनकी धारा 212 भादंसं में दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त नहीं है क्योंकि फोन पर बातचीत वर्तमान में एक सामान्य तथ्य है । उक्त बातचीत मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण द्वारा आपस में बातचीत अपराध के संबंध में ही की गयी हो । अतः उक्त अभियुक्तगण अमित जाट, संजय धीवां, सुरेंद्र यादव,विजेंद्र के विरूद्ध धारा 212 भादंसं में दोषसिद्धि बाबत पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।

75. अभियुक्त दिनेश पुत्र मुकनाराम के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करें तो पीडब्लू 32 रामप्रसाद एक ऐसा गवाह है जो यह कहता है कि दिनेश पुत्र मुकनाराम ने उससे कमरा किराये पर लिया था जिसके साथ अन्य लड़के थे जो बदमाशी करते थे । इस गवाह ने जो अन्य लड़के बताये हैं वे अन्य लड़के कौन थे इसका उल्लेख इस गवाह ने अपने सशपथ

कथनों में नहीं किया । अतः यह गवाह इस तथ्य को पुष्ट करने के लिये उपयुक्त साक्षी नहीं है कि अभियुक्त दिनेश पुत्र मुकनाराम ने पुलिस दल पर हमला करने वाले अभियुक्तगण में से किसी की भागने या छुपने में सहायता की हो । इसलिये उक्त अभियुक्त दिनेश पुत्र मुकनाराम के विरूद्ध भी धारा 212 भादंसं का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है ।

76. अतः विवेचन के दौरान द्वितीय भाग में रखे गये अभियुक्तगण कैलाश नागौरी, सुगना, राजू नैण, कुलदीप, सुमित्रा, किरणपाल, अमित जाट, संजय धींवा, सुरेंद्र यादव, विजेंद्र एवं दिनेश पुत्र मुकनाराम के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 212 भादंसं प्रमाणित नहीं पाया गया है जिसके फलस्वरूप वे उन पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 212 सपठित धारा 120 बी भादंसं में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं ।

विवेचन हेतु प्रथम भाग में रखे गये अभियुक्तगण अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, ओमप्रकाश उर्फ ओपी, रामपाल, दिनेश उर्फ लारा, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया व आमीर के संबंध में निर्णय के उपरवर्ती चरण संख्या 61 व 62 में निष्कर्ष उल्लेखित किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप अंतिम आदेश इस प्रकार है,

आदेश

77. अतः उपरोक्त किये गये विवेचन के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण अजय चौधरी पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 29 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर, जगदीप उर्फ धनकड़ पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी खांजी का बास थाना फतेहपुर जिला सीकर, ओमप्रकाश उर्फ ओपी पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर, दिनेश कुमार उर्फ लारा पुत्र ओमप्रकाश जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला फतेहपुर थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर, आमीर पुत्र खान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चूड़ीमियां पीएस बलारा जिला सीकर, रामपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति रेपस्वाल निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया पुत्र बलवंत जाति रेपस्वाल निवासी भादड़वास थाना मण्डावा जिला झुंझूनू के विरूद्ध 120 बी भारतीय दण्ड संहिता से समुचित साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है । अभियुक्त आमीर को धारा 3/25 व 5/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

78. अभियुक्त अजय चौधरी पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 29 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर, जगदीप उर्फ धनकड़ पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी खांजी का बास थाना फतेहपुर जिला सीकर को धारा 148, 302, 307, 341, 332, 353 भादंसं व 3/25, 5/27 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है, एवं

79. अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ ओपी पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर, दिनेश कुमार उर्फ लारा पुत्र ओमप्रकाश जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला फतेहपुर थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर, रामपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति रेपस्वाल निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया पुत्र बलवंत जाति रेपस्वाल निवासी भादड़वास थाना मण्डावा जिला झुंझूनू को धारा 148, 302/149, 307, 341, 332, 353 भादंसं व 3/25, 5/27 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है, एवं

80. अभियुक्त आमीर पुत्र खान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चूड़ीमियां पीएस बलारा जिला सीकर को धारा 148, 302/149, 307/149, 341, 332, 353 भादंसं में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है ।

81. अभियुक्तगण कैलाश नागौरी पुत्र फूसाराम जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर जिला सीकर, किरणपाल उर्फ मनीष पुत्र रामकुमार जाति हरिजन निवासी रायपुरकला थाना छायसां जिला फरीदाबाद हरियाणा, संजय कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं, दिनेश कुमार पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी कोलीड़ा थाना दादिया जिला सीकर, सुगना देवी पत्नी बलबीरसिंह जाति जाट निवासी जसरासर थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर, बिजेंद्रसिंह पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर, अमित कुमार पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी गोठड़ा भूकरान थाना दादिया जिला सीकर, राजू उर्फ राजेंद्र नैण पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नैणों की ढाणी तन खेड़ी राडान थाना बलारा जिला सीकर, श्रीमती सुमित्रा उर्फ सुमन पत्नी श्योपाल जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा तन बिडौदी थाना बलारा जिला सीकर, सुरेंद्र कुमार पुत्र बंशीधर जाति यादव निवासी सांपा की ढाणी तन केरपुरा थाना खण्डेला जिला सीकर, अभियुक्त कुलदीप चाहर पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी खांजी का बास रूप नगर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर को धारा 212/120 बी भारतीय दण्ड संहिता से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

(अमित कुमार)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
फतेहपुर जिला सीकर

सजा के बिंदु पर सुना गया

82. अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि प्रकरण में विचारित अभियुक्तगण नौजवान हैं । उनके पीछे उनके पारिवारिक सदस्य हैं । यदि अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से

दण्डित किया जाता है तो इससे उनके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वे अपराधियों की संगत में बने रहेंगे । अतः उनके प्रति नरमी बरती जावे जबकि उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने कथन किया कि अभियुक्तगण स्वेच्छिक रूप से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे और स्वयं को पकड़ने से बचाये रखने के लिये उन्होंने पुलिस दल पर हमला किया । उनका उक्त कृत्य गंभीर है इसलिये अभियुक्तगण के साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जावे और उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

83. सजा के बिंदु पर उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध परिस्थितियों का अध्ययन किया । साक्ष्य के विवेचन के दौरान न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अभियुक्तगण ने पुलिस दल पर इसलिये गोलियां चलाई क्योंकि पुलिस दल उनको रोककर पूछताछ या कार्यवाही करना चाह रहा था । केवल इतनी सी बात पर अभियुक्तगण द्वारा दो पुलिसकर्मियों को मार दिया जो यह दर्शाता है कि अभियुक्तगण किस आपराधिक मानसिकता को लिये हुये एकत्रित थे । अभियुक्तगण के रिकार्ड से यह दर्शित है कि वे नौजवान व्यक्ति हैं ऐसे में उन्हें शिक्षा अथवा व्यवसाय के क्षेत्र में अपने पौरूष का प्रयोग कर देश की प्रगति का हिस्सा बनना चाहिए लेकिन उन्होंने अपराध का रास्ता चुना जो कि समाज को विद्रूपित करने का मुख्य कारक है । अभियुक्तगण के साथ किसी भी तरह की नरमी बरते जाना इसलिये उचित नहीं है कि यदि ऐसा किया गया तो अन्य नौजवानों को शह मिलेगी और आमजन में इस प्रकार का डर उत्पन्न होगा कि जब पुलिस दल के साथ ऐसा किया जा सकता है तो वे किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं हैं । अभियुक्तगण द्वारा पुलिसकर्मीगण की हत्या से उनके परिवार आज असीम दुख से गुजर रहे हैं जिसका भाग अभियुक्तगण को ही बनना चाहिए इसलिये अभियुक्तगण द्वारा किये गये उक्त अपराध के लिये न्यायालय उनके साथ किसी प्रकार की नरमी बरतना उचित नहीं समझता है ।

::दण्डादेश::

84. अतः अभियुक्तगण **अजय चौधरी पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 29 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर, जगदीप उर्फ धनकड़ पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी खांजी का बास थाना फतेहपुर जिला सीकर** को धारा 148, 302, 307, 341, 332, 353 भादंसं व 3/25, 5/27 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध पर अभियुक्तगण को

धारा **148** आईपीसी में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है । अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण छः माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं पचास हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण दो वर्ष का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 307 आईपीसी में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं बीस हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण एक वर्ष का कठोर कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 332 आईपीसी में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण छः माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 353 आईपीसी में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण छः माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 341 आईपीसी में एक मास का साधारण कारावास एवं पांच सौ रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण सात दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दो वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण छः माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 5/27 आयुध अधिनियम में तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण एक वर्ष का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे।

85. अभियुक्तगण **ओमप्रकाश उर्फ ओपी पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर, दिनेश कुमार उर्फ लारा पुत्र ओमप्रकाश जाति आचार्य निवासी वार्ड नंबर 02 आचार्यों का मोहल्ला फतेहपुर थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर, रामपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति रेपस्वाल निवासी सुरजनपुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझूनूं, अनुज उर्फ छोटा पाण्डिया पुत्र बलवंत जाति रेपस्वाल निवासी भादड़वास थाना मण्डावा जिला झुंझूनू** को धारा 148, 302/149, 307, 341, 332, 353 भादंसं व 3/25, 5/27 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्तगण को धारा 148 आईपीसी में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना से दण्डित

किया जाता है । अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण छः माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 302/149 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं पचास हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण दो वर्ष का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 307 आईपीसी में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं बीस हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण एक वर्ष का कठोर कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 332 आईपीसी में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण छः माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 353 आईपीसी में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण छः माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 341 आईपीसी में एक मास का साधारण कारावास एवं पांच सौ रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण सात दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दो वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण छः माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्तगण को धारा 5/27 आयुध अधिनियम में तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण एक वर्ष का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे।

86. अभियुक्त **आमीर पुत्र खान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चूड़ीमियां पीएस बलारा जिला सीकर** को धारा 148, 302/149, 307/149, 341, 332, 353 भादंसं में दोषसिद्ध किया जाकर

अभियुक्त को धारा 148 आईपीसी में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है । अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त छः माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेगा ।

अभियुक्त को धारा 302/149 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं पचास हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त दो वर्ष का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा ।

अभियुक्त को धारा 307/149 आईपीसी में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं बीस हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त एक वर्ष का कठोर कारावास पृथक से भुगतेगा ।

अभियुक्त को धारा 332 आईपीसी में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त छः माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेगा ।

अभियुक्त को धारा 353 आईपीसी में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण छः माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

अभियुक्त को धारा 341 आईपीसी में एक मास का साधारण कारावास एवं पांच सौ रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण सात दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे ।

87. अभियुक्तगण पर अधिरोपित सभी मूल सजाएं साथ साथ चलेंगी । अभियुक्तगण द्वारा पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि का उन पर अधिरोपित मूल सजा से नियमानुसार मुजरा किया जावे । सजा वारंट बनाया जावे । अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे ।

88. इस प्रकरण में अभियुक्त **बलबीर पुत्र ईश्वरराम** एवं **हंसराज पुत्र भगवानाराम** मफरूर हैं इसलिये पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट लगाया जावे कि मुलजिमान के मफरूर होने के कारण पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे एवं माल वजह सबूत सुरक्षित रखा जावे ।

89. इस प्रकरण में के मुख्य अभियुक्तगण अजय चौधरी वगैरह द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य के फलस्वरूप पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी मुकेश कानूनगो एवं कांस्टेबल रामप्रकाश की मृत्यु हो गयी । उनकी मृत्यु से उनके परिवार को अपरिमित हानि हुयी होगी इसका अनुमान लगाया जाना असंभव है । परिवार के पुरूष सदस्य की जल्द मृत्यु उसके परिवार के अन्य सदस्यों यथा पत्नी माता पिता व बच्चों के जीवन को विपरीत रूप से प्रभावित करती है । उक्त मृतकगण की मृत्यु की पूर्ति के लिये यद्यपि कोई परिमाण तय नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी आंशिक आर्थिक सहयोग से उनके भविष्य को सुरक्षित

किये जाने में सहायता मिल सकती है । अतः निर्णय की प्रति श्रीमान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर को प्रेषित की जाकर मृतक मुकेश कानूनगो एवं रामप्रकाश के परिजनों को प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंषा की जाती है ।

(अमित कुमार)

90. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.07.2023 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार)